# मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका | जनवरी 2021



प्रबंध सम्पादक
**बी.एस. जामोद**

समन्वय
**मध्यप्रदेश माध्यम**

परामर्श
**प्रद्युम्न शर्मा**

सम्पादक
**रंजना चितले**

सहयोग
**अनिल गुप्ता**

वेबसाइट
**आत्माराम शर्मा**

आकल्पन
**आलोक गुप्ता**
**विनय शंकर राय**

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये



सम्पर्क :
**मध्यप्रदेश पंचायिका**
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स
भोपाल–462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755–4228409
Email : panchayika@gmail.com



**कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।**



मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।


## इस अंक में...

04 मध्यप्रदेश को नम्बर 1 बनाने के लिए पूरे समर्पण भाव से कार्य करें

06 अब जिलों की योजनाएं जिलों में ही बनेंगी प्रदेश के बजट में भी होंगे आमजन के सुझाव

08 लापरवाही करने वाले अधिकारी दंडित होंगे

10 आर्थिक सशक्तिकरण के लिये महिलाओं को मिलेंगी नई जिम्मेदारियां

13 स्वरोजगार और बंद व्यापार में सहायक बनी स्ट्रीट वेंडर ऋण वितरण योजना

16 महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता

18 मध्यप्रदेश में फ्लाई ऐश की ईंटों से आवास निर्माण

20 मध्यप्रदेश के गांवों में बने उत्पादों को देश–दुनिया में बेचने की नीति तैयार

21 वाल्मी बनेगा देश का शोध संस्थान

27 कामधेनु गौ–अभ्यारण्य सालरिया भारत का आदर्श सेवा केन्द्र बनेगा

29 प्रदेश के हर स्कूल में बनेंगे किचन गार्डन

31 स्व–सहायता समूह की महिलाओं को बिक्री के लिए मिला स्टॉल

32 पंचायतों की व्यवस्था में लघु वनोपज को जोड़ा जाएगा

33 वर्ष 2020 की महत्वपूर्ण घटनाएं

41 बीपीडीपी एवं डीपीडीपी तैयार करने के संबंध में निर्देश जारी

45 ग्राम सभा का सम्मिलन आयोजित करने के संबंध में निर्देश जारी

46 जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्थायी समिति के रूप में जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन

48 जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के गठन के संबंध में निर्देश जारी

**संपादक जी,**

पंचायिका के पिछले अंक में हमने गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के बारे में पढ़ा। शासन द्वारा 125 दिन तक मिशन मोड में अभियान चलाना एक सार्थक प्रयास है। इससे ग्रामीण विकास की योजनाओं को गति मिलने के साथ ग्रामीण तबका लाभान्वित हुआ है। इस तरह के समयबद्ध प्रयासों के परिणाम अच्छे और जनहित में निकलकर आते हैं।

**– अनिल तिवारी**
होशंगाबाद (म.प्र.)

**संपादक जी,**

पंचायिका का गरीब कल्याण रोज़गार अभियान पर केन्द्रित अंक पढ़ा। इस अंक में गरीब कल्याण रोज़गार योजना क्या है, इसकी आवश्यकता, उपयोगिता की संपूर्ण जानकारी प्रकाशित की गई है। सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपने जिलेवार लक्ष्य और परिणाम को भी प्रकाशित किया है। इस तरह का सम्पूर्ण विवरण एक साथ दिये जाने से यह अंक संग्रहणीय प्रतीत पड़ता है।

**– गीतू गिन्नौरे**
खण्डवा (म.प्र.)

**संपादक जी,**

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान पर केन्द्रित अंक को पढ़कर हमने जाना कि 125 दिन तक चलने वाले इस अभियान में जहां ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ। वहीं ग्रामीण अधोसंरचना का भी निर्माण हुआ है। सड़क, जल संरक्षण-संवर्धन, संरचना आदि के ऐसे प्रकल्प निर्मित हुए जो ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत क्षमता विकसित करेंगे।

**– राजकुमार शाक्या**
सीहोर (म.प्र.)

**संपादक जी,**

पंचायिका को पढ़कर हमने जाना कि मध्यप्रदेश में चलने वाले गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के बेहतर परिणाम निकलकर आये हैं। प्रदेश में रोज़गार निर्माण, जल संरक्षण, संवर्धन में प्रदेश देश भर में आगे रहा है। विभाग की यह बड़ी उपलब्धि है कि निर्धारित 25 कार्य शत-प्रतिशत तो है हीं उसके अतिरिक्त कई कार्य लक्ष्य से कई गुना अधिक हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये गये अच्छे प्रयासों के लिए साधुवाद।

**– महेश सोनी**
सागर (म.प्र.)

**बी.एस. जामोद**
संचालक

**प्रिय पाठको,**

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नववर्ष के साथ अच्छी खबर है कि यह वर्ष कोविड 19 से बचाव के टीके को साथ लेकर आया है। अब हम सभी स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण के लिए संकल्पित हैं।

नववर्ष के आरम्भ में ही उन्होंने लगातार बैठकें आयोजित कर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण का आह्वान किया। कार्य के 12 सूत्र बताए तथा वर्ष 2021 के फोकस कार्यों का उल्लेख भी किया। इन बैठकों में दिशा–निर्देश मार्गदर्शन सभी का मंथन है। पंचायिका के इस अंक में हमने मध्यप्रदेश की आत्मनिर्भरता के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा ली गई बैठकों के विवरण पर आधारित लेख प्रकाशित किये हैं।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आजीविका मिशन द्वारा 20 सितम्बर, 23 नवम्बर और 8 जनवरी को ऋण वितरण के वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किये गये। विगत दिनों मुख्यमंत्री जी द्वारा स्व–सहायता समूह की महिलाओं को 200 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई। इसकी रिपोर्ट हमने महिला सशक्तिकरण स्तम्भ में प्रकाशित की है।

स्ट्रीट वेंडर्स को संबल देने और रोज़गार निर्मित करने के लिए विगत दिनों प्रदेश के 20 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को दस–दस हजार रुपये का ब्याज रहित ऋण वितरित किया गया। इस आयोजन की जानकारी को हमने स्ट्रीट वेंडर योजना स्तम्भ में शामिल किया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा किये गये अवलोकन और दिशा–निर्देश समीक्षा स्तम्भ में प्रकाशित हैं।

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति अग्रणी स्थान पर है। योजना के तहत प्रदेश में कई नवाचार हुए, इसी श्रृंखला में आवास निर्माण के लिए फ्लाई ऐश से ईंटों का निर्माण किया जाना अच्छा प्रयास है।

आपकी जानकारी के लिये इसे प्रधानमंत्री आवास योजना स्तम्भ में प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे स्व–सहायता समूहों के लिए उत्साहवर्धक समाचार है कि 'साथी' योजना द्वारा समूह के उत्पादों की ब्रांडिंग की जायेगी। इस जानकारी को आजीविका स्तम्भ में शामिल किया गया है। नवाचार में इस बार प्रकाशित है वाल्मी द्वारा निर्मित मुक्ताकाश मंच के लोकार्पण की रिपोर्ट।

शेष स्तम्भ के साथ कामधेनु गौ–अभ्यारण्य सालरिया, प्रदेश के सभी स्कूलों में 'माँ की बगिया' नाम से किचन गार्डन का निर्माण के समाचार और जानकारियां शामिल की गई हैं। पंचायत गजट में हर बार की तरह इस बार भी आपके मार्गदर्शन के लिए विभागीय आदेश प्रकाशित किये गये हैं।

इस अंक में विकास के, निर्माण के और परिणाम के विविध पक्ष समाये हैं। भविष्य में भी कार्यों के अच्छे परिणाम निकलकर आये। इसी अपेक्षा के साथ, इस अंक में इतना ही...।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

**( बी.एस. जामोद)**
संचालक, पंचायतराज

# मध्यप्रदेश को नम्बर 1 बनाने के लिए पूरे समर्पण भाव से कार्य करें

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत निर्माण के आह्वान को मूर्त रूप देते हुए कहा है कि ''प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा।'' इस सिद्धान्त को अमल में लेते हुए प्रदेश के मुखिया ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की संकल्पना को पूर्ण करने की ओर मध्यप्रदेश को नम्बर वन बनाने के लिए नववर्ष के प्रारंभ में ही लगातार बैठकें आयोजित कर आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण की कल्पना को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से साझा की। 2 जनवरी को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रीगणों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को

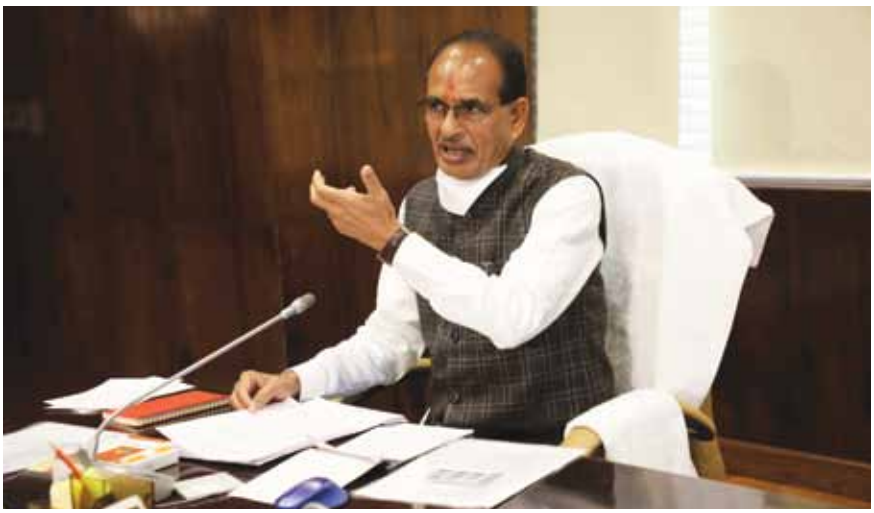

नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ शासन के सूत्र समझाए और प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि गरीबों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के विकास

## वर्ष 2021 के फोकस कार्य

- 'सिंगल सिटीजन डाटाबेस' का सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं में उपयोग प्रारंभ करना।
- शासकीय सेवाओं के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विण्डो' की व्यवस्था।
- विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति उपरांत बिना विलंब के हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराना।
- मण्डी एवं श्रम सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करना।
- 'आउट ऑफ बॉक्स' सोचकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना। रोजगार सेतु पोर्टल का प्रभावी क्रियान्वयन।
- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करना।
- जिला स्तर के कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए 'डैशबोर्ड' का प्रयोग।
- महिला स्व-सहायता समूह, कृषि उत्पादक संगठन, सहकारिता को जनआंदोलन बनाना।
- पब्लिक हैल्थ केयर तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर को उच्च कोटि का बनाना।
- सी.एम. राइज स्कूल की अवधारणा को धरातल पर लाना।
- प्रशासन अकादमी को उच्च स्तर का प्रशिक्षण संस्थान बनाना।
- नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास।
- अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाना।
- आई.टी. का अधिकतम उपयोग तथा प्रत्येक गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना।
- हर व्यक्ति का कोविड टीकाकरण।
- माफियाओं के पूरे नैटवर्क को ध्वस्त करना।
- नए गौण खनिज नियमों के अंतर्गत खनिज संपदा की शीघ्र लीज स्वीकृति।
- धान उपार्जन एवं आगामी समय में गेहूँ उपार्जन की श्रेष्ठ व्यवस्थाएं।
- जनजातीय समुदाय को वनाधिकार पट्टे तथा उनके अन्य वैध हक दिलवाना।
- समावेशी विकास। 'मिनिमम गवर्मेंट' तथा 'मैक्सिमम गवर्नेंस'।

एवं जनता के कल्याण सहित सभी क्षेत्रों में मध्यप्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए नए साल में सभी समर्पण भाव से जुट जाएं। बिना लिए-दिए समय-सीमा में जनता को सेवाएं प्राप्त कराना सुशासन का मूलमंत्र है, जिसे हमें प्रदेश में चरितार्थ करना है। इसके लिए तकनीकी का भी पूरा उपयोग किया जाए। प्रदेश में एक अच्छा फीडबैक सिस्टम तैयार करना है। हमारा प्रशासन सज्जनों के लिए फूल की तरह कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से भी अधिक कठोर होगा।

**ये होंगे शासन के 12 प्रमुख सूत्र**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रशासन के 12 प्रमुख सूत्र बताये।

**हमारा पहला सूत्र है –** कि जनता ही अपनी भगवान है। कोई भी अहंकार में न रहे तथा जनता की सेवा एवं बेहतरी के लिए कार्य करें।

**दूसरा सूत्र है –** मध्यप्रदेश के खजाने पर सबसे पहले गरीबों का हक है। गरीबों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

**तीसरा सूत्र है –** किसान एवं कृषि का विकास। किसानों की फसल की उत्पादन लागत घटाने तथा उन्हें फसलों का बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए निरंतर कार्य करना है। प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में विशेष प्रयास किए जाने हैं।

**चौथा सूत्र है –** महिला सशक्तिकरण। हमें महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक सशक्तिकरण करना है। उन्हें पूरा सम्मान एवं सुरक्षा देनी है। महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाना है। बेटियों की सुरक्षा के लिए हम धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 लाए हैं।

**पाँचवा सूत्र है –** प्रदेश में सुशासन देना, जिसके अंतर्गत जनता को निश्चित समय-सीमा में सेवाएं बिना कार्यालयों के चक्कर लगाए तथा बिना कुछ लिए-दिए प्राप्त हो जाएं।

**छठवां सूत्र है –** प्रदेश को माफिया मुक्त करना। प्रदेश में ड्रग माफिया, मिलावट माफिया, भू-माफिया, रेत माफिया आदि के विरुद्ध सघन अभियान जारी रहेगा। साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि आमजन को कोई दिक्कत न हो। किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में न फंसाया जाए।

**सातवाँ सूत्र है –** परियोजनाओं को निश्चित समय पर पूरा करना। इसके लिए मैं स्वयं हर हफ्ते बड़ी योजनाओं की समीक्षा करूंगा, मंत्रीगण भी नियमित समीक्षा करें। अधिकारीगण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। परियोजनाएं बिना लागत बढ़े समय से पूरी हो जाएं।

**आठवां सूत्र है –** केन्द्र की हर योजना में नंबर वन रहना। इसके लिए सभी निरंतर प्रयास करें। मंत्रीगण केन्द्र से निरंतर समन्वय रखें तथा दिल्ली के दौरे करें। विभिन्न योजनाओं में केन्द्र से अधिक से अधिक राशि प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं।

**नौवां सूत्र है –** आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का गठन। इसके लिए बनाए गए रोडमैप पर तेजी से क्रियान्वयन किया जाए।

**दसवां सूत्र है –** अधिक से अधिक रोजगार सृजन। इसके लिए हर विभाग प्रयास करे। शासकीय व अशासकीय दोनों क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित किए जाएं। कौशल विकास पर पूरा ध्यान दिया जाए।

**ग्यारहवां सूत्र है –** जन स्वास्थ्य। हमें प्रधानमंत्री जी के दोनों मंत्र 'स्वास्थ्य ही संपदा' है और 'दवाई भी कड़ाई भी' का पालन करना है। हमें अपने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों को उच्च कोटि का बनाना है। साथ ही फीवर क्लीनिक को इस प्रकार विकसित करना है कि वहां जनता को हर प्रकार के रोगों का प्राथमिक इलाज मिल सके।

**बारहवां सूत्र है –** अच्छी शिक्षा। इसके लिए हमें शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रत्येक 20-25 किलोमीटर के दायरे में सी.एम. राइज स्कूल खोले जाएंगे। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

● **प्रस्तुति : देवेन्द्र गोरे**
लेखक पत्रकार हैं

## आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

# अब जिलों की योजनाएं जिलों में ही बनेंगी प्रदेश के बजट में भी होंगे आमजन के सुझाव

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तूफानी कवायद शुरू कर दी है। वे कोरोना संकट के बीच जहां पूरे प्रदेश में यात्राएं करके जनभावनाओं के अनुरूप अपने प्रशासन को ढालने के प्रयास में हैं वहीं अधिकारियों और मंत्रियों की बैठकों में वे प्रशासन को जन भावना के अनुरूप ही काम करने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने एक और जहां मंत्रियों से सतत काम करने की समीक्षा करने को कहा वहीं अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इसी सिलसिले में उन्होंने भोपाल में दो दिन मैराथन बैठकें कीं एक अधिकारियों की और दूसरी मंत्रियों की। अब तीसरा काम उन्होंने यह भी शुरू किया है कि वे प्रतिदिन मंत्रियों के साथ चाय पियेंगे। इस चाय चर्चा में संबंधित मंत्री से विभागीय प्रगति पर समीक्षा होगी। क्रम ऐसा बनाया गया है कि एक मंत्री के साथ महीने में एक बार संबंधित विभाग से चर्चा हो इस चाय चर्चा का कारण इसलिए बना ताकि मंत्री प्रतिमाह अपने विभाग के लंबित मामले देख सकें। अपनी विभिन्न बैठकों में मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दो बातों पर जोर दिया एक तो रोजगार सृजन पर दूसरे इस बात पर कि प्रदेश की जरूरतों का सामान मध्यप्रदेश में ही तैयार हो। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रालय में बैठकर ही योजनाएं नहीं बनतीं। योजनाएं बनाने का काम जमीन में होना चाहिए। जिले की योजना जिले में ही बननी चाहिए और यह काम एक अप्रैल से आरंभ होगा।

> **मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दो बातों पर जोर दिया एक तो रोजगार सृजन पर दूसरे इस बात पर कि प्रदेश की जरूरतों का सामान मध्यप्रदेश में ही तैयार हो। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रालय में बैठकर ही योजनाएं नहीं बनतीं। योजनाएं बनाने का काम जमीन में होना चाहिए। जिले की योजना जिले में ही बननी चाहिए और यह काम एक अप्रैल से आरंभ होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कौन-कौन से काम प्राथमिकता में होने चाहिए।**

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कौन-कौन से काम प्राथमिकता में होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हर जिले में शासकीय एवं निजी क्षेत्रों में नियोजन तथा स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएं। प्रदेश में हर माह लगभग 01 लाख रोजगार सृजित किए जाएं। प्रत्येक जिले में हर माह रोजगार मेले आयोजित कर रोजगार उपलब्ध कराया

जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामों के समग्र विकास के लिए नगरों की तरह ग्रामों का भी मास्टर प्लान बनाया जाए। इसके अंतर्गत गांवों में अधोसंरचना विकास, स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण तथा हितग्राहीमूलक कार्य योजनाबद्ध तरीके से कराए जाएं। इनमें मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खेत सड़क योजना आदि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एक जिला–एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रदेश के कई जिलों ने वहां के उत्पादों को प्रमोट करने तथा उन्हें मार्केट लिंकेज प्रदान करने में अच्छा कार्य किया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

**बैंकों पर नाराजी**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैंकों द्वारा सिविल स्कोर के आधार पर पी.एम. स्वनिधि योजना में ऋण वितरण रोका जाना घोर आपत्तिजनक है। 'मैं इस पर बैंकों के प्रति अप्रसन्नता प्रकट करता हूँ। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया जाएगा। यह केन्द्र द्वारा गरीबों के लिए बनाई गई योजना है। इसमें बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिया जाना गरीबों के साथ अन्याय है।

**15 दिन बाद फिर रिव्यू करूंगा**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पथ विक्रेता योजना प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, सभी कलेक्टर एवं नगर पालिका अधिकारी बैंकों से समन्वय कर ऋण वितरण करवाएं। 'मैं 15 दिन बाद कार्य का रिव्यू करूंगा। मुझे परिणाम चाहिए।'

**मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 78 लाख किसान परिवारों को सहायता**

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 78 लाख किसान परिवारों को सहायता दी जानी है। इनमें से 91 प्रतिशत किसानों का सत्यापन हो गया है। शेष का शीघ्र कर लिया जाएगा।

**सभी नवीन पात्रता पर्ची धारकों को मिल जाए राशन**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश

के सभी गरीबों को उचित मूल्य राशन के लिए नवीन पात्रता पर्चियां दी गई हैं। इन सभी को राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाए। अभी 83 प्रतिशत को राशन वितरण हुआ है, शेष 17 प्रतिशत को भी शीघ्र राशन वितरित कराएं।

**हर माह अन्न उत्सव**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर महीने प्रदेश की सभी 25271 उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव मनाया जाएगा। इनमें से हाट–बाजार की दुकानों पर अन्न उत्सव हाट के दिन होगा। इस दिन सभी गरीबों को उचित मूल्य में राशन प्रदाय किया जाएगा। साथ ही दुकानों के स्टॉक का सत्यापन भी किया जाएगा। अन्न उत्सव में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

**8 जनवरी को एस.एच.जी. को ऋण वितरण कार्यक्रम**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी 08 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के स्व–सहायता समूहों को ऋण वितरण किया जाएगा।

उन्होंने निर्देश दिए कि स्व–सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के साथ ही मार्केट लिंकेज भी उपलब्ध कराया जाए।

**स्वच्छता सर्वेक्षण में अग्रणी रहने पर बधाई**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर को नं–1 रहने के लिए बधाई दी। साथ ही खरगोन, भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, शाहगंज, बदनावर, ओंकारेश्वर, कांटाफोड़ आदि नगरीय निकायों को भी स्वच्छता में उपलब्धि के लिए बधाई दी।

**स्वच्छता पर कोई समझौता नहीं**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश को स्वच्छता में नं–1 प्रदेश बनाना है। स्वच्छता के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नगरीय निकाय कर्मियों को विलंब से वेतन दिए जाने तथा स्वच्छता कार्य में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर नगर निगम ग्वालियर को हटाने के निर्देश दिए।

**गोबर से सी.एन.जी. उत्पादन**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गौ–शालाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। इसके लिए छोटी–छोटी गौ–शालाओं को जोड़कर बड़ी गौ–शाला बनाई जाएं। गोकाष्ठ और गोमूत्र के उचित प्रयोग से गौ–शाला को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। गोबर से सी.एन.जी. बनाना व उसे पेट्रोल पम्प के माध्यम से बेचने का प्रयोग उत्तरप्रदेश में सफलतापूर्वक हो रहा है।

● **रमेश शर्मा**
लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं

## प्रशासन को जनोन्मुखी बनाने के लिये मुख्यमंत्री हुए सख्त

# लापरवाही करने वाले अधिकारी दंडित होंगे

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अपने चौथे कार्यकाल में बदले हुए स्वरूप में दिख रहे हैं। अपने पिछले कार्यकाल में उठाये गये कदमों और व्यक्त किये गये संकल्प से एक कदम आगे।

शिवराज जी ने अपने पिछले कार्यकाल में कहा था कि मेरा प्रदेश मंदिर है और जनता भगवान। शिवराज जी ने स्वयं को सेवक बताया था। अब नये कार्यकाल में शिवराज जी चाहते हैं कि पूरा प्रशासन तंत्र जनता रूपी भगवान की सेवा में लगे। इसीलिए वे डी.जी.पी., एस.पी., कलेक्टर और कमिश्नर स्तर के अधिकारियों की बैठक में बहुत सख्त नजर आये। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि इस तरह की बैठकें केवल एक आयोजन नहीं होना चाहिए। एक परिणाम मूलक होना चाहिए। उन्होंने अफसरों से कहा कि प्रशासन को जनता के सामने आने वाली समस्याओं के निराकरण के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सुशासन के लिए 'रुटीन गवर्नेंस' और 'फोकस्ड एजेंडे' दोनों पर कार्य किया जाए। एक तरफ जहां जनता के रोजमर्रा के कार्य बिना किसी बाधा के सुगमता से हों वहीं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश व शासन की प्राथमिकता वाले विषयों पर नियमित रूप से कार्रवाई हो। सी.एम. डैशबोर्ड के माध्यम से शासन के सभी विभागों की निरंतर मॉनीटरिंग एवं रैंकिंग की जाएगी तथा अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के पोर्टल का शुभारंभ किया।

### सुशासन की परिभाषा बताई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सुशासन की परिभाषा बताते हुए कहा कि सुशासन का अर्थ है 'जनता को बिना लिए-दिए समय पर शासन द्वारा दी जाने वाली समस्त सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए।'

हमारा लक्ष्य है प्रदेश की जनता को सुशासन देना। हमें जनता का कार्य करने के तरीके निकालने हैं न कि कार्य न करने के बहाने तलाशने हैं।

### आप शासन के प्रतिनिधि हैं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कमिश्नर्स-आई.जी., कलेक्टर्स-पुलिस अधीक्षकों से कहा कि 'आप शासन के प्रतिनिधि हैं अत: अपने क्षेत्र में सुशासन सुनिश्चित करना आप सभी की जिम्मेदारी है। जनता एवं जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद रखें।

### आत्मनिर्भर पोर्टल पर पूरी जानकारी

बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पोर्टल पर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का सभी विभागों का रोडमैप तथा सभी विभागों की विभागवार एवं जिलावार जानकारी अपलोड की गई है। इसके साथ ही समस्त आवश्यक जानकारियों एवं सूचनाओं को भी प्रदर्शित किया गया है।

### उपार्जन के साथ ही कलेक्टर्स मिलिंग के कार्य पर भी फोकस करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश

में पहली बार धान के उपार्जन के साथ ही मिलिंग का कार्य भी किया जा रहा है, अत: कलेक्टर्स इस ओर विशेष ध्यान दें। सीमावर्ती कलेक्टर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उपार्जन के लिए प्रदेश के बाहर से धान न आए। समर्थन मूल्य खरीदी के अंतर्गत इस बार अभी तक 5 लाख 40 हज़ार टन धान का उपार्जन किया गया है, वहीं 2 लाख 15 हज़ार टन मोटे अनाज ज्वार व बाजरे का उपार्जन किया गया है।

### 35 उपार्जन केंद्र स्व-सहायता समूहों को

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि इस बार 35 उपार्जन केंद्र स्व-सहायता समूहों को सौंपे गए हैं तथा उनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को समर्थन मूल्य पर बेची गई फसल का 3 दिन में भुगतान सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।

### भू-माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में भू-माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनके रसूख को जमींदोज किया गया है। इसके लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन सतना आदि जिलों के अधिकारी विशेष बधाई के पात्र हैं।

उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यवाही में इस बात का ध्यान रखें कि किसी गरीब को कोई परेशानी न हो।

### नीमच के फर्जी अफीम प्रकरण में दोषियों को बर्खास्त करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि नीमच जिले में एक व्यापारी को फर्जी अफीम प्रकरण में फंसाने के मामले में दोषी पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारियों को नियमानुसार बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाए।

### चिटफंड माफिया के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में चिटफंड माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है। प्रदेश में 184 प्रकरण पंजीबद्ध कर 3528 निवेशकों को 17 करोड़ 60 लाख रुपये वापस दिलवाए गए हैं। छतरपुर, कटनी, नीमच, रतलाम जिले के अधिकारी विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि चिटफंड माफिया के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएं तथा निवेशकों को उनके पैसे वापस दिलवाएं।

> **मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में भू-माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनके रसूख को जमींदोज किया गया है। इसके लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन सतना आदि जिलों के अधिकारी विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यवाही में इस बात का ध्यान रखें कि किसी गरीब को कोई परेशानी न हो।**

### अवैध खनन पर कार्रवाई हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

इसी के साथ वैध ठेकेदारों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। इस संबंध में देवास, सिंगरौली, गुना, जबलपुर, नरसिंहपुर आदि जिलों में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। भिंड जिले में अवैध खनन एवं परिवहन रोकने के लिए अच्छा प्रयोग किया गया है।

### साइबर क्राइम के खिलाफ सचेत रहें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने साइबर क्राइम के खिलाफ सचेत रहने के भी निर्देश सभी जिला अधिकारियों को दिए। इस संबंध में कटनी, जबलपुर, ग्वालियर एवं सागर को अच्छे कार्य के लिए बधाई दी गई। प्रदेश में 1711 साइबर क्राइम के प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें एक करोड़ 97 लाख रुपये की राशि वापस दिलाई गई है।

### बेटियों के विरुद्ध अपराधों के प्रति अत्यंत संवेदनशील

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार बेटियों के विरुद्ध अपराधों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। इस संबंध में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाल ही में होशंगाबाद से गायब एक बालिका को नेपाल बॉर्डर से तथा बुदनी से गायब एक बालिका को सिकंदराबाद से वापस लाया गया है।

### चिन्हित अपराधों में सजा के बाद भी फॉलोअप करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि चिन्हित एवं जघन्य अपराधों में सजा के फैसले के बाद भी फॉलोअप किया जाए, जिससे दोषियों को अंतिम रूप से सजा मिल सके। प्रदेश में ऐसे प्रकरणों में 97 व्यक्तियों को मृत्युदंड एवं 3553 को आजीवन कारावास हुआ है।

### सभी हितग्राहियों को मिल जाएं पात्रता पर्चियां एवं राशन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश में जोड़े गए सभी 37 लाख नए हितग्राहियों को पात्रता पर्चियां एवं राशन मिलना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अंतर्गत पूर्व में 25 लाख व्यक्तियों को लाभ मिल चुका है, शेष व्यक्तियों को भी लाभ शीघ्र मिल जाए। इस संबंध में छिंदवाड़ा, झाबुआ, होशंगाबाद, आगर एवं मंडला जिलों के अधिकारियों को अच्छे कार्य के लिए बधाई दी गई।

### पथ विक्रेता योजना में स्वीकृति एवं ऋण वितरण दोनों सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण पथ विक्रेता योजनाओं में न सिर्फ अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत हों अपितु सभी में ऋण वितरण भी सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए बैंकों से आवश्यक समन्वय करें।

# आर्थिक सशक्तिकरण के लिये महिलाओं को मिलेंगी नई जिम्मेदारियाँ

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितने प्रभावी कदम उठाए हैं। इतने पिछले पांच दशकों में शायद ही कभी उठाए गए हों। मुख्यमंत्री की महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने की संवेदनशीलता ही है कि प्रदेश में इस दिशा में कारगर कार्य किये गये।

प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए की गई पहल में सबसे प्रभावी कदम है प्रदेश में स्व-सहायता समूहों का निर्माण और सशक्तिकरण। इसके तहत 35 लाख से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों को 3 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सहायता दी गई है। इसके लिए प्रदेश में 2 हजार 237 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूह की महिलाएं अब आजीविका से स्थाई रोजगार की ओर कदम बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत 8 जनवरी को मिंटो हॉल सभा कक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्व-सहायता समूहों के खाते में 200 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मध्यप्रदेश आजीविका मार्ट का शुभारंभ भी किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले पांच महीनों में मुख्यमंत्री द्वारा तीसरी बार ऋण वितरित किया गया है। इससे पहले 20 सितम्बर, 2020 तथा 23 नवम्बर, 2020 को वर्चुअल कार्यक्रमों में ऋण वितरित किया गया है।

अब तक दो हजार 30 करोड़ रुपये से अधिक बैंक ऋण के रूप में स्व-सहायता समूहों को वितरित किया गया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यह प्रभावी और महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रदेश सरकार के निरन्तर प्रयत्न से ग्रामीण गरीब महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में कदम मजबूत हुए हैं। मुख्यमंत्री के संकल्प को गांवों में मूर्त रूप लेते हुए देखा जा सकता है। जो महिलाएं बमुश्किल जीवन यापन कर पाती थीं, वे जब से स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं तबसे आर्थिक रूप से सबल हुई हैं। उन्हें मिलने वाली ऋण की राशि से उन्होंने स्थाई आजीविका निर्मित की। कल तक जो मजदूरी करती थीं उनकी वार्षिक आय एक लाख से अधिक है। कई स्व-सहायता समूहों ने तो अपना फेडरेशन तक बना लिया है।

महिलाओं को संबल देने और सशक्तिकरण की दिशा में उनके कदम

मजबूत करने के उद्देश्य से तीसरी बार मिंटो हॉल भोपाल में वर्चुअल ऋण वितरण किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 200 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों को अंतरित करते हुए स्व-सहायता समूह की महिलाओं को नई जिम्मेदारी देने के वादे के साथ उनके स्वप्न को पंख लगा दिये हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। इनमें स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में निरन्तर कार्य होगा ताकि बहनें स्वयं सशक्त होकर एक सशक्त समाज की रचना में सहयोगी बनें। प्रदेश की बहनों को गरीब नहीं रहने दिया जायेगा। स्व-सहायता समूहों के गठन, उनके प्रशिक्षण, उन्हें बैंक लिंकेज दिलवाने और मार्केटिंग का लाभ दिलवाकर आर्थिक लाभ प्रदान करवाने के कार्य लगातार चलेंगे। पोषण आहार तैयार करने का कार्य अब ठेकेदार नहीं बल्कि महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाएं करेंगी। इन समूहों के उत्पाद पोर्टल के माध्यम से दूसरे देशों तक जा सकेंगे। गरीबी मिटाने का यह बहुत बड़ा माध्यम होगा।

मध्यप्रदेश में इन समूहों को बड़ी, अचार और पापड़ बनाने से आगे ले जाकर नवीन गतिविधियों जैसे किचिन शेड के निर्माण, बंजर भूमि समतलीकरण, वर्क शेड निर्माण, कुआं निर्माण, मवेशी आश्रय भवन, भण्डारण भवन और पशुपालन से भी जोड़ा जायेगा। इन नयी जिम्मेदारियों से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। कोई ऐसा कार्य नहीं जो हमारी बहनें नहीं कर सकतीं।

कार्यक्रम में समूहों को मिली सफलता पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभाग के नवीन पोर्टल http://shgjivika.mp.gov.in/mpmart/index की भी शुरुआत की जिसके माध्यम से ग्रामों के उत्पाद के विक्रय का कार्य आसान होगा। इससे पंजीकृत समूह, शासकीय संस्थाओं और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को विक्रय कर अधिक लाभ

अर्जित कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व-सहायता समूहों ने कोरोन संकट के समय प्रदेश में मास्क निर्माण जैसा महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रदेश की आबादी को कोरोना वायरस से बचाने में समूहों की महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसके लिये महिला स्व-सहायता समूह की बहनें बधाई की पात्र हैं। वास्तव में इन बहनों की कार्य क्षमता अभूतपूर्व है। समूहों को इस वर्ष कुल 1400 करोड़ की सहायता दी जायेगी। गतवर्ष के 175 करोड़ रुपये के वितरण के मुकबाले इस वर्ष समूहों को 883 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया जा चुका है। मध्यप्रदेश बीते वर्ष की तुलना में 708 करोड़ से अधिक राशि का वितरण कर देश में दूसरे स्थान पर है। इसके लिये समूहों की बहनें और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग बधाई का पात्र है।

> **"प्रदेश में 10 लाख परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में 35 लाख से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों के 3 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश में कुल 2237 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।"**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल जिले के स्व-सहायता समूह की महिलाओं को राशि प्रदान की। राशि प्राप्त करने वालों में माया दीदी, सीमा रिंकल, सुनीता, अनीता, तारा, रुकमणी दीदी आदि शामिल हैं।

### महिलाओं को देंगे अधिक से अधिक सुविधाएं

प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त बनाने के अलावा अन्य योजनाओं के माध्यम से लाभांवित करने का कार्य किया जा रहा है। पूर्व वर्षों में विद्यालय जाने के लिये साइकिल प्रदान करने, गर्भावस्था और प्रसव के पश्चात पोषण आहार के लिये राशि, संबल योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन से महिलाओं को लाभ मिला है। प्रदेश में माफिया के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया है। इसके साथ ही नशे की लत से

## मुख्यमंत्री ने किया समूहों की बहनों से संवाद

**कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीन जिलों की बहनों से संवाद भी किया। इनमें झाबुआ जिले की जनपद पंचायत झाबुआ अंतर्गत ग्राम पंचायत भगौर निवासी गीतांजलि स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती किरण, शहडोल जिले की जनपद पंचायत सुहागपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत केवलारी के ग्राम कल्याणपुर निवासी लक्ष्मी स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती पिंकी कुशवाह एवं सतना जिले की जनपद पंचायत नागौद अंतर्गत ग्राम पंचायत उसरार निवासी राधाकृष्णा स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती अनीता मांझी शामिल हैं।**

युवाओं को बचाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं। महिलाएं भी बच्चों को नशे की तरफ बढ़ने से रोककर इस कार्य में सहयोगी बन सकती हैं।

### बेटी बचाओ अभियान में भी मददगार हो बहनें

महिलाओं के विरुद्ध अपराध न हों और बेटी बचाओ अभियान को गति मिले इसके लिये शासकीय विभाग सक्रिय हैं। इस कार्य में हमारी बहनें भी मददगार बनें। चिटफंड के नाम पर पैसे दोगुने करने वाले आर्थिक अपराधियों और गुंडागर्दी करने वालों को नहीं बख्शा जायेगा। महिलाएं भी इन प्रयासों में मददगार बनें।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने कहा कि सरकार ग्रामीण बहनों को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने निरंतर समीक्षा कर इस कार्य को गति प्रदान की है। म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत निर्धन परिवारों की महिला सदस्यों को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। आमतौर पर देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बैंकिंग सेवाओं की प्रक्रियाओं में दस्तावेजीकरण व अन्य औपचारिकताओं की कठिनाई के कारण पात्र होने के बावजूद विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को और सरल करने के उद्देश्य से बैंकों के साथ भी व्यापक स्तर पर समन्वय स्थापित कर स्व-सहायता समूहों के लिये पर्याप्त बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम के प्रारंभ में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश ने स्व-सहायता समूहों को सहायता राशि देकर देश में दूसरा स्थान अर्जित किया है। स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने परिश्रम और मजबूत संकल्प से समूह गतिविधियों का बढ़ाया है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ललित मोहन बेलवाल ने आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि यह ऋण वितरण गत पांच माह में तीसरी बार हुआ है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को आज वर्चुअल कार्यक्रम में 200 करोड़ रुपये बैंक ऋण वितरित किया गया। श्री चौहान ने इससे पहले 20 सितम्बर 2020 एवं 23 नवम्बर 2020 को वर्चुअल कार्यक्रमों में ऋण वितरित किया था। मिशन ने अब तक दो हजार 30 करोड़ रुपये से अधिक बैंक ऋण के रूप में स्व-सहायता समूहों को वितरित किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कोरोना काल में ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये लॉकडाउन के समय से लगातार वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया।

● **अर्चना शर्मा**
लेखक पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं

# स्वरोजगार और बंद व्यापार में सहायक बनी
# स्ट्रीट वेंडर ऋण वितरण योजना

बीते वर्ष 2020, में कोरोना संकट के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। इससे न सिर्फ प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले नौकरी पेशा, छोटे व्यापारी बल्कि बड़े व्यापारी भी कोविड के कारण आई आर्थिक परेशानियों की चपेट में आ गए थे। इसमें सबसे ज्यादा वो लोग प्रभावित हो रहे थे जो अन्य राज्यों से काम-धंधा छोड़ घरों को वापस आए। घर पहुंचने पर ऐसे लोगों के सामने रोजगार प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में इन लोगों को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना यही प्रदेश सरकार की योजना थी। यही वजह है कि इन लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर ऋण वितरण योजना शुरू की। इस दौरान उन सभी लोगों की मदद के लिए सरकार आगे बढ़ी जो इस ऋण का उपयोग कर अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के 20 हजार ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स (ग्रामीण लघु व्यवसायियों) के खातों में सिंगल क्लिक द्वारा 10-10 हजार रुपये की ब्याज मुक्त ऋण राशि पहुंचायी। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में ग्रामीण छोटे व्यवसासियों को 10-10 हजार रुपये का ब्याज रहित ऋण उनके कार्य के लिये बैंक से दिलाया जाता है। क्रेडिट गारंटी राज्य शासन देता है। ऋण वितरण कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव श्री सचिन सिन्हा, श्री एम.एस. बेलवाल उपस्थित थे।

### निश्चिंत होकर करें कारोबार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण पथ विक्रेता निश्चिंत होकर अपना कारोबार करें। उनके आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिये जहां जरूरत होगी राज्य सरकार साथ रहेगी। सरकार का प्रयास है कि पथ विक्रेताओं को रोजगार, सम्मान और सुरक्षा मुहैया करायी जाये ताकि वे स्वाभिमान के साथ अपना व्यवसाय करते हुए आगे बढ़ें और खुशहाल जीवन जिएं। एक समय बैंक से बड़े व्यवसाय करने वालों को ही ऋण मिलता था, बैंक लघु व्यवसाय करने वालों को ऋण नहीं देते थे। राज्य सरकार की योजना से लघु व्यवसाय करने वालों को सरकार की गारंटी पर लोन दिलवाया गया है। कोरोना काल में लघु व्यवसायियों का व्यवसाय बन्द हो गया था। प्रधानमंत्री जी ने शहरी स्ट्रीट वेंडर्स योजना बनायी और राज्य सरकार ने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना बनाई। पहले लघु व्यवसायी, साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर राशि लेते थे। अब स्ट्रीट वेंडर्स को इन साहूकारों से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। राज्य सरकार ने सूद पर पैसा देने वालों को भी नियंत्रित करने का कानून बनाया है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर राशि देने वाले लायसेंस धारक साहूकार ही ब्याज पर पैसा दे सकते हैं।

### बड़ी कम्पनियां लघु व्यवसायियों के लिये बाधक नहीं बन पायेंगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि देखा गया है कि बड़ी कम्पनियां छोटे-छोटे काम-धंधे भी शुरू कर रही हैं जिससे छोटे व्यवसायियों का रोजगार छिन सकता है।

लेकिन मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प है कि ऐसे नियम बनाए जाएंगे जिससे कि छोटे व्यवसायियों का काम छिनने नहीं दिया जाएगा।

### 8 लाख 52 हजार से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 8 लाख 52 हजार से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन किया जा चुका है।

अब तक 60 हजार से अधिक हितग्राहियों को ऋण वितरण कार्य पूर्ण हो गया है। यह कार्य हर महीने आगे भी चलता रहेगा।

### पहचान पत्र दिये जायेंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के पंजीकृत व्यवसायियों को उनके पहचान पत्र नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों से दिये जायेंगे ताकि व्यवसाय करते हुए उन्हें सम्मान मिले। पुरुष पथ व्यवसायियों की पत्नियां भी स्व-सहायता समूहों से जुड़ रही हैं और अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रही हैं।

> **"मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के पंजीकृत व्यवसायियों को उनके पहचान पत्र नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों से दिये जायेंगे ताकि व्यवसाय करते हुए उन्हें सम्मान मिले। पुरुष पथ व्यवसायियों की पत्नियां भी स्व-सहायता समूहों से जुड़ रही हैं और अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रही हैं।"**

### व्यवस्थित बाजार और हाकर्स जोन बनेंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसी भी गरीब लघु व्यवसायी को परेशान नहीं होने दिया जायेगा। उनके हित सुरक्षित रखे जाएंगे। शहरों में कई जगह हाकर्स जोन बनाये गये हैं। इसी प्रकार गांवों में बाजारों को व्यवस्थित कर हाकर्स जोन बनाये जाएंगे। जहां पथ व्यवसायी सम्मान के साथ बैठकर अपना व्यवसाय कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिन स्ट्रीट वेंडर्स के पास गुमटी ठेला नहीं होगा उन्हें सामान बेचने की सुविधा भी दी जायेगी।

### रोजगार मुख्य लक्ष्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के अंतर्गत रोजगार मुख्य लक्ष्य है।

स्वरोजगार बेहतर है। आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों से जुड़े सदस्यों को भी समुचित ऋण की व्यवस्था की जायेगी, ताकि भाई-बहनें भी अपनी आयमूलक गतिविधियों को सुदृढ़ कर आगे

बढ़ सकें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि समय पर ऋण वापस करने वाले लघु व्यवसायियों को आगे बढ़ने के लिये पुन: 20 हजार और 50 हजार रुपये तक ऋण उपलब्ध कराने का इंतजाम राज्य सरकार करेगी। योजना को अभियान-आंदोलन स्वरूप में संचालित किया जायेगा।

**कौशल विकास**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कौशल विकास की ओर ध्यान दिया जायेगा ताकि युवाओं को हुनरमंद बनाया जा सके और वे रोजगार में स्थापित हो। लघु और कुटीर उद्योगों का जाल प्रदेश में बिछाया जाएगा जिससे कि लाखों युवाओं को स्वरोजगार मिले। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि हाल ही में एक रेडीमेड गारमेन्ट कम्पनी ने एक यूनिट स्थापित करने की जानकारी दी है जिससे करीब चार हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

**प्रशिक्षण व पहचान पत्र दिया जाएगा**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत ग्रामीण शिल्पी और लघु व्यवसायियों को प्रशिक्षण एवं पहचान पत्र दिये जायेंगे जिससे अपना व्यवसाय निरंतर कर वे सम्मान के साथ कार्य कर सकेंगे।

**इन हितग्राहियों को मिला योजना का लाभ**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस योजना से कोरोना काल में जब लघु व्यवसायियों का व्यवसाय ठप्प हो गया था, तब उन्हें योजना में संबल मिला है।

उन्होंने बताया कि शिवपुरी की मनदीप कौर ने सिलाई, कढ़ाई, भोपाल की दीना विश्वकर्मा ने मोटर बाइडिंग, बिजली के कार्य के लिये ऋण लिये और आमदनी बढ़ायी। इसी तरह कटनी के ढीमरखेड़ा के श्री अमित जैन दिल्ली में मजदूरी करते थे। लॉकडाउन में घर वापस आ गये। उन्हें योजना में ऋण मिला। उन्होंने पान एवं जनरल स्टोर्स की छोटी दुकान खोली। अब हर दिन 500 रुपये तक कमा रहे हैं।

**हितग्राहियों से मुख्यमंत्री की बातचीत**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों से बातचीत की। जिसमें उन्होंने रायसेन जिले के सांची विकासखण्ड के सलामतपुर के हितग्राही श्री कल्याण सिंह अहिरवार से बात की। श्री अहिरवार बूट पालिश एवं जूता-चप्पल विक्रय का व्यवसाय करते हैं। उन्होंने बताया कि अब उन्होंने अपना व्यवसाय बढ़ाया है जिससे अधिक आय हो रही है। बड़वानी जिले के विकासखड पानसेमल के ग्राम मोयदा की श्रीमती मंगला बाई जो चाय-नाश्ते की होटल चलाती हैं। इन्होंने ऋण राशि से होटल को बढ़ाया तथा चूल्हा और अन्य सामान खरीदा। इनकी बिक्री बढ़ी और आय होने लगी। रतलाम जिले के बिलपांक ग्राम के हेयर सैलून चलाने वाले हितग्राही श्री देवेन्द्र केलवा ने बताया कि उन्होंने सैलून में नयी मशीनें लाकर व्यवसाय बढ़ाया जिसका उन्हें फायदा मिला है।

**प्रतीक स्वरूप ऋण वितरण**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल जिले के स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों को प्रतीक स्वरूप ऋण राशि वितरित की। उन्होंने ग्राम अगरिया के श्री सुनील सेन, ग्राम करोंद खुर्द के श्री मनोज, ग्राम बड़झिरी के श्री दशरथ, ग्राम गुनगा के श्री रवि श्रीवास, और ग्राम नलखेड़ा के श्री संदीप कुमार को ऋण राशि के चेक वितरित किये।

**योजनाओं से मिला लघु व्यापारियों को संबल**

इस मौके पर उपस्थित पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने कहा कि जब कोरोना महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन था, उस समय लघु व्यापारियों की स्थिति ठीक नहीं थी, सभी परेशान थे। उस समय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के माध्यम से लघु व्यापारियों को आर्थिक संबल दिया। पहले 40 हजार ग्रामीण लघु व्यवसायियों को ऋण राशि वितरित की जा चुकी है। यह बड़ा परिवर्तन लाने वाली योजना है। मनरेगा योजना में प्रदेश देश में आगे है। इससे 19 लाख मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। प्रदेश प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अग्रणी चल रहा है। चारों और विकास के कार्यों को गति मिली है।

● **प्रवीण पाण्डेय**
लेखक पत्रकार एवं ब्लॉगर हैं

# महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण के लिए कृत संकल्पित हैं। इसके लिए उन्होंने रोडमैप भी तैयार कर लिया। लक्ष्य अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन और मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को पूर्ण करने के लिए जहां वे मंत्रालय में योजनाओं के यथोचित क्रियान्वयन और मार्गदर्शन के लिए विभागवार समीक्षा करते हैं। वहीं क्षेत्र में जाकर जनता से सीधे संवाद कर धरातल पर स्थिति-परिस्थिति का स्वयं अवलोकन भी करते हैं।

विगत दिनों 24 दिसम्बर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

हमारा ग्रामीण मध्यप्रदेश, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू की गयी कई योजनाओं में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। जिनमें आजीविका मिशन द्वारा निर्मित स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर होने वाली महिलाओं ने कई नवाचार किये हैं और स्थाई आजीविका के संसाधन विकसित किये।

> **मनरेगा योजना के क्रियान्वयन और श्रमिकों को रोज़गार देने में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। प्रतिदिन 20 लाख श्रमिकों का नियोजन मनरेगा द्वारा किया जाता है जो देश भर में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को बधाई दी है और स्व-सहायता समूह संघ भवन निर्माण कार्य के लिए विभाग की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।**

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अव्वल है, प्लास्टिक वेस्ट से सड़कों के निर्माण में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश आगे है। मनरेगा योजना के क्रियान्वयन और श्रमिकों को रोज़गार देने में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। प्रतिदिन 20 लाख श्रमिकों का नियोजन मनरेगा द्वारा किया जाता है जो देश भर में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को बधाई दी है और स्व-सहायता समूह संघ भवन निर्माण कार्य के लिए विभाग की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अधिक से अधिक महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जाए तथा स्व-सहायता समूहों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। यह प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बैंक लिंकेज पोर्टल पर प्रकरणों की प्रस्तुति तथा उनकी स्वीकृति की दृष्टि से मध्यप्रदेश भारत में प्रथम रहा है। मध्यप्रदेश के प्रस्तुत 82 हजार 342 महिला स्व-सहायता समूहों के प्रकरणों में से 32 हजार 62 स्व-सहायता समूह के प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं।

महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश भारत में प्रथम है। मध्यप्रदेश में इस वर्ष मनरेगा के अंतर्गत अभी तक 22810 ग्राम पंचायतों में से 22108

(97%) ग्राम पंचायतों में सक्रिय 01 करोड़ 14 लाख 66 हजार सक्रिय मजदूरों में से 20 लाख 17 हजार 56 (17.59%) मजदूरों को प्रतिदिन नियोजित किया जा रहा है, जो भारत में सर्वाधिक है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में भी दिए गए लक्ष्य की पूर्ति में मध्यप्रदेश प्रथम रहा है। प्रदेश में मार्ग निर्माण की लंबाई के 2550 कि.मी. के लक्ष्य के विरुद्ध 1010 कि.मी. मार्ग निर्माण किया गया जो लक्ष्य का 39.62 प्रतिशत है तथा भारत में सर्वाधिक है।

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट से सर्वाधिक लंबाई 7.5 हजार कि.मी. के मार्ग निर्मित किए गए। इस कार्य में मध्यप्रदेश भारत में प्रथम रहा है। ई-मार्ग पोर्टल के माध्यम से कार्यों के भुगतान में भी मध्यप्रदेश प्रथम रहा है। पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण के 2370 कार्यों में से 2166 का भुगतान प्रारंभ किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मध्यप्रदेश में अच्छा कार्य हुआ है। इसमें मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में 23 लाख 63 हजार 777 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 17 लाख 59 हजार 675 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं।

### अधिक से अधिक हों समरस पंचायतें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक समरस पंचायतें हों। इसके लिए अभियान चलाया जाए। समरस पंचायतों में सरपंच निर्विरोध चुने जाते हैं, जिससे चुनाव में व्यय होने वाली राशि ग्राम के विकास में खर्च होती है। शासन द्वारा समरस पंचायतों को विकास के लिए अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाती है।

### दीनदयाल अंत्योदय समितियों को सक्रिय करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर दीनदयाल अंत्योदय समितियों को सक्रिय किया जाए। इनमें सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा गैर राजनैतिक व्यक्तियों को शामिल किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सी.ई.ओ. जनपद पंचायत की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया जाए। अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए।

## मुख्य बिन्दु

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न।
- ग्रामीण आजीविकास मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज प्रदान करने में मध्यप्रदेश प्रथम।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश सबसे आगे।
- प्लास्टिक वेस्ट से प्रदेश में सर्वाधिक रोड निर्माण।
- प्रधानमंत्री आवास योजना में अच्छा कार्य।
- समरस पंचायतों का निर्माण किया जायेगा।
- दीनदयाल अंत्योदय समितियों को सक्रिय किया जावे।
- मनरेगा के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी।
- 86 लाख 37 हजार मजदूरों को कार्य दिया गया।
- प्रतिदिन भारत में सर्वाधिक 20 लाख श्रमिकों को कार्य प्रदाय।
- स्व-सहायता समूह संघ भवन निर्माण कार्य किया गया।

> **मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट से सर्वाधिक लंबाई 7.5 हजार कि.मी. के मार्ग निर्मित किए गए। इस कार्य में मध्यप्रदेश भारत में प्रथम रहा है। ई-मार्ग पोर्टल के माध्यम से कार्यों के भुगतान में भी मध्यप्रदेश प्रथम रहा है। पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण के 2370 कार्यों में से 2166 का भुगतान प्रारंभ किया गया।**

मनरेगा के अंतर्गत बंजर भूमियों को उपजाऊ बनाने के कार्य प्राथमिकता से लिए जाने चाहिए। खेत-सड़क योजना को गति दी जाए। शांति धाम विकास कार्यों को प्राथमिकता दें। प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग के तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 86 लाख 37 हजार मजदूरों को रोजगार दिया गया है, इनमें 36 लाख 87 हजार महिलाएं हैं। कार्यों में प्रतिदिन लगभग 20 लाख श्रमिकों का नियोजन किया जा रहा है, जो भारत में सर्वाधिक है। प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत सिंचाई परियोजना के कमांड एरिया में अंतिम छोर के किसान तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए 'वाटर कोर्स चैनल' का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

इस तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कई योजनाओं में अव्वल रहने के लिए बधाई दी। नवाचारों को सराहा गया तथा कार्यों को और परिष्कृत कर आगे बढ़ाने के निर्देश दिये ताकि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

● **प्रस्तुति : रीमा राय**
लेखक स्तम्भकार हैं

# मध्यप्रदेश में फ्लाई ऐश की ईंटों से आवास निर्माण

मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य है। अपने कार्य को अव्वल रखने में जहां प्रदेश का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सक्रिय है वहीं यहां नित नये नवाचार भी किये जाते रहे हैं।

प्रदेश में विगत दिनों कोरोना काल के दौरान एक लाख 75 हजार घरों का एक साथ वर्चुअल गृह प्रवेशम् का आयोजन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसके पूर्व आवास निर्माण के माध्यम से कार्य में त्वरितता लाने और परिकृत करने के लिए प्रदेश में वृहद स्तर पर कारीगरों को ट्रेनिंग दी गई। इसी के साथ महिलाओं को भी इस कार्य से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य के लिए प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग की नवाचारों की लम्बी श्रृंखला है। इसी के तहत एक और नवीन नवाचार शुरू किया गया है। वह है फ्लाई ऐश से ईंटों का निर्माण।

**क्या है फ्लाई ऐश**

फ्लाई ऐश बिजली उत्पादन से मिलने वाला बाई प्रोडक्ट है। प्रदेश में जहां भी नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन के प्लांट हैं वहां उत्पादित होने वाली फ्लाई ऐश पर्यावरण को प्रदूषित करती है। प्रदेश में इस फ्लाई ऐश का पुनः उपयोग करने की योजना बनाई गई।

इस फ्लाई ऐश से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उपयोग की जाने वाली ईंटों का निर्माण किया गया। चूंकि यह ईंटें राख से बनती हैं इसीलिए इनका रंग राख जैसा भूरा रहता है।

**क्या विशेषता है फ्लाई ऐश से बनी ईंटों की**

फ्लाई ऐश से ईंट निर्माण के लिए इन्हें सांचे में डालकर सिर्फ सुखाना होता है। ईंटों को पकाने के लिए कोयला या अन्य ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। फ्लाई ऐश में सीमेंट भी रहता है, इसलिए यह ज्यादा मजबूत होती है। इन ईंटों का आकार बड़ा होता है, इसलिए आवास निर्माण में इन ईंटों की कम खपत होती है। चूंकि फ्लाई ऐश को सांचे में ढालकर सीधे सुखाया जाता है, इसे पकाने के लिए कोयला आदि ईंधन नहीं लगता इसलिए पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता। इन ईंटों की जुड़ाई के दौरान उपयोग में आने वाले सीमेंट की खपत भी कम होती है। इस तरह फ्लाई ऐश से निर्मित होने वाली ईंटों के निर्माण में एक तो लागत कम लगती है, दूसरा पर्यावरण संरक्षण में मददगार है, तीसरा मजबूत होती हैं। इन सभी लाभों को केन्द्र में रखकर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए फ्लाई ऐश से ईंटों का निर्माण शुरू किया गया है। इन ईंटों के निर्माण के इस नवाचार की जिम्मेदारी अधिकतर स्व–सहायता समूहों को सौंपी गई है।

इन ईंटों के उपयोग से लगभग एक लाख 58 हजार रुपये एक आवास के निर्माण में व्यय होता है वह भी तब जब उसका क्षेत्रफल 275 वर्गफीट हो। सामान्यतः हितग्राही 325 वर्गफीट का आवास निर्मित करते हैं और लागत 2.00 लाख तक हो जाती है। अब प्रमुख रूप से 2 मुख्य घटक हैं जहाँ आवास में व्यय कम किया जा सकता

है। वे दो घटक हैं ईंट और छत।

**ईंट** : आवास निर्माण के लिए सामान्यतः भट्टा या इलाहाबादी (3 no) अथवा स्थानीय भट्टा ईंट उपयोग की जाती हैं। जिनकी न्यूनतम कीमत 5.5/– रुपये है। सामान्य ईंटों के स्थान पर यदि फ्लाई ऐश ईंट ली जाएं तो वे संख्या 6000 के स्थान पर 20% कम अर्थात 4800 ही लगेंगी। जिनकी लागत 5/– रु. की दर से 24000 होगी अर्थात् 9000/– की बचत है। यदि Earth Stabilised Compressed Bricks उपयोग की जाएं तो इनकी लागत 3.2 रुपये होती है जिनकी कुल लागत 15360/– होगी तथा कुल बचत 17600 तक हो सकती है। ये ईंटें हाथों से चलने वाली मशीन से जिसकी लागत 60000/– है। यह ग्राम पंचायत के स्तर पर स्व–सहायता समूहों द्वारा निर्मित की जा सकती हैं। इस ईंट निर्माण की मजदूरी भी मनरेगा की अनुमत श्रेणी के कार्य में सम्मिलित है।

**छत** – आवास में छत ढालने में 25000 का व्यय आता है तथा इसके बाद प्लास्टर व फिनिशिंग कार्य में 10 हजार और लगता है। इस प्रकार हितग्राही को लगभग 30 हजार रुपये से 35 हजार रुपये खर्च लगता है जबकि उसको अंतिम किश्त 15 हजार ही मिलती है। सेंटरिंग की उपलब्धता भी एक चुनौती है। हाफ कट पाइप की छत इसका सस्ता विकल्प है, इनके उपयोग से छत की लगात तो कम होगी ही, सेंटरिंग की मारामारी भी नहीं रहेगी और 15 दिन का समय भी कम लगेगा।

सीधी जिले में अभी तक लगभग 1300 आवासों के निर्माण में फ्लाई ऐश ईंट का उपयोग हुआ है। जिनसे हितग्राहियों को लगभग 117 लाख की राशि की बचत होना अनुमानित है। इसके अतिरिक्त 782 टन कोयला और 235 टन लकड़ी जलने से बचायी गयी। लाल ईंट के स्थान पर फ्लाई ऐश ईंट के उपयोग से 488 टन फ्लाई ऐश disposal किया गया।

इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण और हितग्राही को आर्थिक लाभ की दोनों स्थितियां निर्मित हुई हैं। लाल ईंट के स्थान पर फ्लाई ऐश ईंट के उपयोग से प्रति आवास राशि रु. 9000/– की बचत होती है। 600 किलोग्राम कोयला, 200 किलोग्राम लकड़ी जलने से बच जाती है वहीं लगभग 500 किलोग्राम फ्लाई ऐश का भी उपयोग हो जाता है।

**प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में होने वाले व्यय का विवरण (275 sqft) जिला सीधी**

| क्रमांक | सामग्री विवरण | राशि (रु.) |
|---|---|---|
| 1 | सीमेंट 100 @ बोरी 300/– | 30000 |
| 2 | बालू 400 cuft @ बोरी 30/– | 12000 |
| 3 | गिट्टी 300 cuft @ बोरी 30/– | 9000 |
| 4 | सरिया 550 kg @ 50/– | 27500 |
| 5 | Centring किराया | 12000 |
| 6 | ईंट 6000 @ 5.5/– | 33000 |
| 7 | मिस्त्री व अन्य मजदूरी | 15000 |
| 8 | दरवाजा, खिड़की, बिजली, पुताई आदि | 20000 |
| | **योग** | **158500** |

**सीधी जिले में आवास के निर्माण में फ्लाई ऐश ईंट के निर्माण का विवरण**

| क्रमांक | जनपद | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | कुसमी | 430 |
| 2 | मझौली | 87 |
| 3 | रामपुर नैकिन | 84 |
| 4 | सीधी | 381 |
| 5 | सिहावल | 321 |
| | **योग** | **1303** |
| | प्रति आवास रुपये 9000 की बचत के मान से कुल बचत राशि रुपये | 1,17,27,000 (117.27 लाख रुपये) |
| | लाल ईंट (चिमनी/भट्ठा) के उपयोग में कुल कमी (6000 प्रति आवास के मान) | 7818000 (78.18 लाख ईंटें) |
| | 78 लाख लाल ईंट का उपयोग नहीं किये जाने से कोयले की बचत | 781.8 टन |
| | 61 लाख लाल ईंट का उपयोग नहीं किये जाने से जलाऊ लकड़ी की बचत | 234.54 टन |
| | लाल ईंट के स्थान पर फ्लाई ऐश ईंट उपयोग किये जाने से फ्लाई ऐश disposal की बचत (प्रति आवास 4800 ईंट के मान से 1303 आवास में कुल 6254400 ईंट) | 6254.4 टन |

● **प्रस्तुति : संध्या पाण्डेय**
लेखक स्तम्भकार हैं

# मध्यप्रदेश के गांवों में बने उत्पादों को देश–दुनिया में बेचने की नीति तैयार

प्रदेश के स्व–सहायता समूह अब आत्मनिर्भर होंगे। उनके द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पाद जन–जन तक आसानी से पहुंच सकें और इन समूहों को उसका उचित दाम मिले इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने सराहनीय पहल की है। दरअसल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना 'साथी' के लिए पूरा रोडमैप बना लिया गया है। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा–निर्देश भी दिए। इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, कमिश्नर मनरेगा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनरेगा के साथ कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, एम.पी. एग्रो, एम.पी. कॉन एवं नाफेड के अधिकारी शामिल हुए। मंत्री श्री सिसौदिया ने कहा मध्यप्रदेश पहला राज्य है जो साथी परियोजना का क्रियान्वयन करने जा रहा है। खास बात यह है कि इस परियोजना से ग्रामीण क्षेत्र में स्व–सहायता समूह को उपार्जन, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए पहले प्रशिक्षित किया जाएगा और उनकी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में सहयोग भी किया जाएगा।

### साथी बाजार की होगी स्थापना

खास बात यह है कि स्व–सहायता समूहों के द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके और इनके उत्पादों की रीच बढ़े इसके लिए नाफेड द्वारा विकासखंड स्तर पर साथी बाजार स्थापित किए जाएंगे, जहां यह समूह अपने उत्पादों को बेच सकेंगे। साथी बाजार की स्थापना से राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और उचित ब्रांडिंग एवं विपणन से राज्य के उत्पादों को पहचान मिलेगी।

### नहीं होगा मार्केटिंग और ब्रांडिंग का अभाव

मार्केटिंग और ब्रांडिंग के अभाव में औने–पौने दाम पर बिकने वाले महिला स्व–सहायता समूहों के उत्पादों को सरकार बाजार मुहैया कराएगी। ग्रामीण हाट से लेकर अमेज़ान, फ्लिपकार्ट सहित अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म तक इन उत्पादों की बिक्री का इंतजाम होगा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) से कई दौर की बातचीत हो चुकी है और जल्द ही करार भी होगा। इस कदम से न सिर्फ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि मध्यप्रदेश के उत्पाद भी देश और दुनिया में स्थान पाएंगे।

### दो लाख से अधिक हैं महिला स्व–सहायता समूह

प्रदेश में दो लाख से ज्यादा महिला स्व–सहायता समूह हैं। इनसे 35 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। इनके द्वारा तैयार किए जाने वाले अधिकांश उत्पादों की खपत प्रदेश में ही हो जाती है लेकिन कुछ उत्पाद ऐसे हैं, जिनकी देश–दुनिया में मांग है। इनमें महेश्वर और चंदेरी की साड़ी, डिंडौरी और बालाघाट में बनने वाले बांस के उत्पाद, लोहे की प्रतिमा, चूड़ी, कंगन सहित अन्य उत्पाद शामिल हैं।

### कोल्ड स्टोरेज खोल सकेंगे

प्रदेश में संचालित होने वाले स्व–सहायता समूहों के लिए यह बेहतर अवसर होगा कि उन्हें आलू भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज खोलने का मौका मिलेगा। जहां वे प्याज, लहसुन का भी भंडारण कर सकेंगे। नाफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर दालों की भी खरीदी होगी और उसका प्रसंस्करण कर एक राज्य से दूसरे राज्य तक उसे पहुंचाया जाएगा।

● **देवेन्द्र गोरे**
लेखक पत्रकार हैं

# वाल्मी बनेगा देश का शोध संस्थान

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित वाल्मी म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाला एक उत्कृष्ट संस्थान है। संस्थान द्वारा समय-समय पर कई नवाचार किये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किये गये नवाचारों के अलावा वाल्मी ने कचरे से प्रबंधन को लेकर अनूठी पहल भी की है। वाल्मी द्वारा निर्माण की श्रृंखलाओं में एक और नवाचार किया गया वह है मुक्ताकाश मंच का निर्माण। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने 29 दिसम्बर को मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मी के इस नवनिर्मित मुक्ताकाश मंच का लोकार्पण किया।

मुक्ताकाश मंच के लोकार्पण अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने कहा कि वाल्मी प्रशिक्षण के साथ देश का शोध संस्थान बनेगा। इसे धरातल तक ले जाना है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए राज्य शासन कृत-संकल्पित है विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार के कार्य किए जा रहे हैं। वाल्मी को मनरेगा से जोड़कर इसका क्षेत्र विस्तार किया जायेगा।

श्री सिसौदिया ने कहा कि इस तरह के देश में दो सेन्टर हैं एक औरंगाबाद में और दूसरा वाल्मी भोपाल में स्थापित है। इसे और बेहतर बनाने के लिए सरकार के माध्यम से पूरी सहायता दी जायेगी। यह संस्थान भविष्य में कीर्तिमान स्थापित करेगा। अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि कलात्मक प्रतिभाओं को प्रस्तुति के लिए एक नया स्थान मिला है। इसे बेस्ट बनाना होगा। वाल्मी विभिन्न गतिविधियों के विस्तार और अर्जित आय से संचालित है। इसे प्रशासनिक गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए तैयार करना है। वाल्मी डेवलपमेंट की प्रयोगशाला है। यहां पर मनरेगा में काम करने वालों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। मध्यप्रदेश का मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ई-मार्ग और स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाने में देश में प्रथम स्थान है।

**"मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी ने कचरे के प्रबंधन को लेकर अनूठी पहल की है। वाल्मी द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इस दौरान बड़ी मात्रा में गीला तथा सूख कचरा एकत्र होता है। संस्थान द्वारा इस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निष्पादन किया जाता है और प्राकृतिक खाद का निर्माण किया जाता है। इस खाद का उपयोग परिसर में लगाये गये पौधों तथा वृक्षों के लिए किया जाता है। संस्थान द्वारा केज वर्मी कम्पोस्ट, नॉडेप, कम्पोस्ट मेकिंग मशीन द्वारा प्राकृतिक खाद का निर्माण किया जा रहा है। संस्थान द्वारा निर्मित जैविक बागड़ एक नवीन पहल है।"**

वाल्मी की संचालक श्रीमती उर्मिला शुक्ला ने संस्थान की गतिविधियों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि इस मुक्ताकाश मंच पर एक साथ 100 कलाकार प्रस्तुति दे सकेंगे और 250 दर्शकों की बैठक व्यवस्था रहेगी। उन्होंने क्लीन वाल्मी और ग्रीन वाल्मी में पधारे अतिथियों का स्वागत किया।

**मुक्ताकाश मंच की क्या है विशेषता**

यह मुक्ताकाश मंच 4200 वर्गफीट में बना है। जिसमें मंच 1200 वर्गफीट का है खास बात यह है कि इस ओपन थियेटर में दो हजार कांच की और 500 पानी की प्लास्टिक बोतलों के साथ ही क्रेशर डस्ट का उपयोग किया गया है। मंच की फ्लोरिंग के लिए मार्बल के टूटे हुए दाने और बॉर्डर पर डिजाइन के लिए धौलपुर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इस ओपन थियेटर में 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। मंच पर एक साथ 100 कलाकार प्रस्तुति दे सकेंगे। यह पहला ओपन थियेटर है। इससे कला और संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए एक नया मंच उपलब्ध होगा।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित वाल्मी म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाला एक उत्कृष्ट संस्थान है। यह संस्थान पिछले 33 वर्षों से राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टाफ और किसानों के लिए भूमि प्रबंधन और जल प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहा है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इस संस्थान को मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। संस्थान को 1998 में ग्रामीण विकास विभाग में शामिल किया गया है। वर्ष 2014 में वाल्मी का पुनर्गठन किया गया।

इस संस्थान द्वारा दो पृथक स्कूलों, वाल्मी स्कूल ऑफ वॉटरशेड मैनेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट एवं वाल्मी स्कूल ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट के माध्यम से शोध क्रियाओं, फॉर्म ट्रायल्स, विषय अध्ययन के आधार पर कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम संचालित करने तथा जल एवं भूमि प्रबंधन के अन्य कार्यों के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध की जा रही है। जल, भूमि एवं पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण, परामर्श, क्रियात्मक अनुसंधान और अनुशंसाएं प्रदान कर देश व प्रदेश में आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। वाल्मी द्वारा किये गये कार्यों में स्वच्छ वाल्मी, अपशिष्ट पदार्थों का वैज्ञानिक निष्पादन, भोजनालय से प्राप्त अपशिष्ट प्रबंधन, केज वर्मी कम्पोस्ट निर्माण-4 चक्रीय विधि, नाडेप विधि और कम्पोस्ट मेकिंग मशीन द्वारा किया जाता है। वाल्मी के विशेष कार्यों में वृक्षारोपण कार्य, जैविक बाकड़, फलोद्यान का जीर्णोद्धार, वर्षा जल संचयन, जलग्रहण क्षेत्र विकास अवधारणा आधारित कार्यों से जल उपलब्धता तथा औषधि और उपयोगी पौधों का रोपण शामिल है। वाल्मी द्वारा किये गये वृक्षारोपण में मियांवाकी तकनीक द्वारा किया गया वृक्षारोपण कार्य उल्लेखनीय है।

## मुख्य बिन्दु

- मुक्ताकाश का नाम कलाकाश होगा।
- यहां 250 दर्शकों की बैठक व्यवस्था रहेगी।
- मुक्ताकाश मंच पर एक साथ 100 कलाकार प्रस्तुति दे सकते हैं।
- वाल्मी को मनरेगा से जोड़ा जायेगा।
- वाल्मी डेवलपमेंट की प्रयोगशाला है।
- यह संस्थान भविष्य में कीर्तिमान स्थापित करेगा।
- मध्यप्रदेश मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ई-मार्ग और स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाने में देश में प्रथम स्थान पर है।

● **प्रवीण पाण्डेय**
लेखक पत्रकार एवं ब्लॉगर हैं

# 2021 ईस्वी सन्

शक संवत् 1942-43

# मध्यप्रदेश

| जनवरी | [illegible] | | | | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि | 31 | 3 | 10 | 17 | 24 |
| सोम | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| मंगल | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| बुध | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| गुरु | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| शुक्र | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| शनि | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |

| फरवरी | [illegible] | | | | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| सोम | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| मंगल | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| बुध | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| गुरु | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| शुक्र | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| शनि | 6 | 13 | 20 | 27 | |

| मार्च | [illegible] | | | | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| सोम | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| मंगल | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| बुध | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| गुरु | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| शुक्र | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| शनि | 6 | 13 | 20 | 27 | |

| अप्रैल | [illegible] | | | | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| सोम | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| मंगल | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| बुध | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| गुरु | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| शुक्र | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| शनि | 3 | 10 | 17 | 24 | |

| मई | [illegible] | | | | | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि | 30 | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| सोम | 31 | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| मंगल | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| बुध | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| गुरु | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| शुक्र | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| शनि | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |

| जून | [illegible] | | | | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| सोम | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| मंगल | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| बुध | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| गुरु | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| शुक्र | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| शनि | 5 | 12 | 19 | 26 | |

[illegible]

[illegible]

# पंचायिका

# 2021

# कामधेनु गौ–अभ्यारण्य सालरिया
# भारत का आदर्श सेवा केन्द्र बनेगा

यह समय आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण का समय है। सभी क्षेत्र, सभी दिशा, सभी कार्यों में प्रदेश की आत्मनिर्भरता को तलाशा जा रहा है।

गायें पुरातन ग्रामीण विकास का आधार रही हैं। गौ–उत्पाद कृषि उत्पादन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही इसके अतिरिक्त औषधियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण है। कृषि के आधुनिकीकरण से कहीं न कहीं गौ वंश की उपेक्षा हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गौवंश को बढ़ावा देने और उनके उत्पाद से कृषि तथा समाज को लाभान्वित करने के लिए गौ–शालाओं के संचालन पर जोर दिया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत 1012 गौ–शालाओं के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिनमें 858 गौ–शालाओं का कार्य पूर्ण हो गया है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के आजीविका मिशन द्वारा निर्मित स्व–सहायता समूहों को गौ–शालाओं के संचालन के कार्य से जोड़ने के निर्देश दिये हैं। यह स्व–सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र से होंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा। इससे ग्रामीण आबादी स्वावलम्बी होगी, आत्मनिर्भर होगी। इसी दिशा में मध्यप्रदेश के आगर जिले में सालरिया गौ–अभ्यारण्य अनुसंधान केन्द्र की शुरुआत की गयी है। प्रदेश के सालरिया गौ–अभ्यारण्य केन्द्र कार्य की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ सेवा और गौ–अभ्यारण्य विकास को लेकर अपनी परिकल्पना स्पष्ट की और कहा कि– कामधेनु गौ–अभ्यारण्य सालारिया को भारत का आदर्श गौ–सेवा केन्द्र बनाएं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगर जिले में संचालित सालरिया गौ–अभ्यारण्य उनका 'ड्रीम प्रोजेक्ट' है, इसको भारत का आदर्श गौ–सेवा केन्द्र बनाया जाए। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर योजना बनाई जाए और उस पर अमल किया जाए। गौ–अभ्यारण्य की व्यवस्थाओं से ऐसे लोगों को जोड़ा जाए, जिनका गौ–सेवा मिशन हो। साथ ही गौ–शाला के संचालन से महिला स्व–सहायता समूहों को जोड़ा जाए। गौ–अभ्यारण्य में गायों की देखभाल का कार्य स्व–सहायता समूहों के माध्यम से कराया जाये। सालरिया में गौ–उत्पादों का आधुनिक अनुसंधान केन्द्र भी विकसित किया जाए। अनुसंधान से विश्वविद्यालयों को जोड़ें। इस बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया आदि उपस्थित थे।

**गायें पुरातन ग्रामीण विकास का आधार रही हैं। गौ–उत्पाद कृषि उत्पादन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही इसके अतिरिक्त औषधियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण है। कृषि के आधुनिकीकरण से कहीं न कहीं गौ वंश की उपेक्षा हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गौवंश को बढ़ावा देने और उनके उत्पाद से कृषि तथा समाज को लाभान्वित करने के लिए गौ–शालाओं के संचालन पर जोर दिया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत 1012 गौ–शालाओं के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिनमें 858 गौ–शालाओं का कार्य पूर्ण हो गया है।**

**स्वावलम्बी बनाने की दिशा में कार्य करें**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गौ–शालाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए।

उन्होंने सालरिया गौ–अभ्यारण्य में ग्रामीण पर्यटन, योग, अध्यात्म शिविर आदि की संभावनाओं पर कार्य करने को कहा।

- **विशेषज्ञों की समिति बनाकर योजना तैयार करें ऐसे लोगों को जोड़े जिनका गौ–सेवा मिशन हो।**
- **गौ–उत्पादों का आधुनिक अनुसंधान केन्द्र बनाएं।**
- **महिला स्व–सहायता समूहों को गौ–अभ्यारण्य के संचालन से जोड़ें।**

गौ–शालाओं में फलदार पौधे भी लगाए जाने चाहिए। सालरिया गौ–अभ्यारण्य में गौ–उत्पाद अनुसंधान केन्द्र खोला जाए। सौर–ऊर्जा उत्पादन की योजना भी बनाई जा सकती है।

## एक करोड़ की लागत से होगा आचार्य विद्यासागर गौ–संवर्द्धन केन्द्र का विस्तार

पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने सागर जिले के ग्राम रतौना में आचार्य विद्यासागर गौ–संवर्द्धन केन्द्र में गौ–शाला विस्तार कार्य का भूमि पूजन किया। मनरेगा में एक करोड़ 9 लाख 86 हजार रुपये की लागत से होने वाले विस्तार कार्य से गायों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में वृद्धि होगी। इस अवसर पर विधायक श्री प्रदीप लारिया और प्रबंध संचालक राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम श्री एचबीएस भदौरिया भी उपस्थित थे। पशुपालन मंत्री श्री पटेल ने गौ–शाला और वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार करने का अवलोकन भी किया। वर्तमान में गौ–शाला में 1800 से अधिक गायों की देखरेख की जा रही है। गौ–शाला संचालनकर्ताओं ने बताया कि यहां ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या हो जाती है। श्री पटेल ने संबंधित अधिकारियों को जल्दी ही समस्या के निदान के निर्देश दिये।

**श्रद्धालु चलाएं, सरकार सहयोग करे**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गौ–शालाओं के उत्तम संचालन के लिए इस कार्य में जनता की भागीदारी बहुत आवश्यक है। प्रदेश में गौ–शालाओं के संचालन की इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, जिसमें श्रद्धालु गौ–शालाओं को चलाएं और उसमें सरकार सहयोग करे।

**गो–काष्ठ, पूजन सामग्री, वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण**

अपर मुख्य सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया ने बताया कि सालरिया गौ–अभ्यारण्य में वर्तमान में गोबर से गो–काष्ठ, पूजा के कंडे, वर्मी कम्पोस्ट खाद आदि बनाए जा रहे हैं। साथ ही गो–मूत्र से गो–अर्क भी बनाने की योजना है। गौ–अभ्यारण्य में वर्तमान में 3974 गौ–वंश हैं, जिनमें 82 गायें दुधारू हैं।

● **प्रस्तुति : विकास तिवारी**
लेखक पत्रकार हैं

- **पोषण वाटिकाओं (किचन गार्डन) का नाम होगा 'माँ की बगिया'।**
- **स्कूल की स्वच्छता एवं पोषण वाटिका में विद्यार्थियों का लें पूरा सहयोग।**
- **मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 2500 किचन शेड एवं 7100 पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण किया।**

# प्रदेश के हर स्कूल में बनेंगे किचन गार्डन

## पोषण वाटिकाओं का नाम होगा 'माँ की बगिया'

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के स्वस्थ जीवन के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान करने की दिशा में एक नया नवाचार प्रारंभ किया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने में उपयोग आने वाली ताजी सब्जियों का निर्माण स्कूल प्रांगण में ही किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसका नाम दिया है 'माँ की बगिया' पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत मनरेगा कन्वर्जेन्स से इन पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जनवरी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में 7 हजार 100 पोषण वाटिकाओं तथा 2500 किचन शेड का लोकार्पण किया। विभाग की मनरेगा योजना के तहत यह किचन शेड तथा पोषण वाटिकाएं मध्यान्ह भोजन परिषद द्वारा निर्मित की गई हैं।

पोषण वाटिकाओं तथा किचन शेड के वर्चुअल लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा के कन्वर्जेन्स से हर शासकीय स्कूल में पोषण वाटिका (किचन गार्डन) बनवाए जाएंगे। स्कूलों में जगह न होने पर गांव में अन्य स्थान पर भी पोषण वाटिका बनाई जा सकती है। अब पोषण वाटिका का नाम 'माँ की बगिया' होगा। स्कूल की स्वच्छता तथा माँ की बगिया के विकास और संरक्षण में विद्यार्थियों का पूरा योगदान लिया जाए।

कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने बचपन के संस्मरण सुनाते हुए कहा कि पहले बच्चे अपने स्कूल में स्वच्छता तथा स्कूल की तरक्की में अपना पूरा योगदान देते थे। हम तो अपने स्कूल में झाड़ू भी लगाते थे। स्कूल की स्वच्छता आदि के काम में कोई शर्म नहीं है। विद्यार्थियों को यह काम करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने पोषण वाटिका के विभिन्न लाभों को बताते हुए कहा कि भोजन हितभुक अर्थात शरीर के लिए लाभदायी, मितभुक अर्थात सीमित मात्रा में तथा ऋतुभुक अर्थात मौसम के अनुरूप होगा, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्कूल में पोषण वाटिका बनाने का उद्देश्य है बच्चों को ताजी व अच्छी सब्जियां मध्यान्ह भोजन के लिए मिल सकें।

### सरपंच, रसोइये, शिक्षक पालक संघ से संवाद किया

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में बालाघाट जिले के ग्राम जंगलटोला की सरपंच श्रीमती गुणवंता बिसेन, ग्वालियर जिले के ग्राम उटीला (मुरार) के शिक्षक पालक संघ के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र बघेल तथा गायत्री देवी से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने अच्छा किचन शेड निर्माण के लिए उन्हें बधाई भी दी।

**'माँ की बगिया' ही उपयुक्त नाम है**

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल जिले के फंदा की प्राथमिक शाला, सिंकदराबाद की स्व-सहायता समूह की रसोइया श्रीमती सुनीता मारन ने बताया कि उन्होंने स्कूल में बनाई गई पोषण वाटिका का नाम 'माँ की बगिया' रखा है। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह उपयुक्त नाम है। अब प्रदेश की सभी पोषण वाटिकाओं को 'माँ की बगिया' कहा जाएगा। मैं सी.एम. हाउस के किचन गार्डन का नाम भी 'माँ की बगिया' रखूंगा।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत, मनरेगा के तहत अभिसरण के माध्यम से मध्यान्ह भोजन परिषद द्वारा प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनाने के लिये प्रदेश में 7 हजार से अधिक पोषण वाटिकाओं एवं ढाई हजार से अधिक किचन शेड का निर्माण किया गया है।

स्कूली छात्रों को स्वच्छ एवं पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने के लिये शासकीय विद्यालयों में व्यवस्थित किचन शेड बनाने के साथ-साथ हरी ताजी शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां उपलब्ध कराने के लिये स्कूलों में ही पोषण वाटिकायें बनाई गई हैं। इन पोषण वाटिकाओं में अलग-अलग तरह के पोषण से भरपूर, विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जा रही हैं। छात्रों में पोषणपूर्ति को ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार के रूप में इन्हीं सब्जियों में से प्रति दिन अलग-अलग तरह की सब्जियों को पकाकर छात्रों को परोसा जायेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं को मध्यान्ह भोजन दिया जाता है। स्व-सहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन शालाओं में ही तैयार कर छात्रों को वितरित कराया जाता है। विद्यालयों में किचन शेड न होने के कारण खुले में भोजन पकाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किचन शेड बनने से भोजन पकाने में सुविधा होगी।

> **पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत, मनरेगा के तहत अभिसरण के माध्यम से मध्यान्ह भोजन परिषद द्वारा प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनाने के लिये 7 हजार से अधिक पोषण वाटिकाओं एवं ढाई हजार से अधिक किचन शेड का निर्माण किया गया है। स्कूली छात्रों को स्वच्छ एवं पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने के लिये शासकीय विद्यालयों में व्यवस्थित किचन शेड बनाने के साथ-साथ हरी ताजी शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां उपलब्ध कराने के लिये स्कूलों में ही पोषण वाटिकायें बनाई गई हैं।**

पोषण वाटिकाओं को समुचित रूप से विकसित करने के लिये मनरेगा के तहत अभिसरण से राशि प्राप्त की गई है। इन वाटिकाओं में खास तौर पर केवल जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों का ही उपयोग किया जायेगा, रासायनिक खाद एवं रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रकार किचन गार्डन से शुद्ध आर्गेनिक सब्जियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी। इन्हें खाने से विद्यार्थियों की सेहत भी ठीक रहेगी।

**प्रस्तुति : अर्चना शर्मा**
लेखक पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं

# स्व–सहायता समूह की महिलाओं को बिक्री के लिए मिला स्टॉल

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प है आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण। मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय–सीमा के साथ रोडमैप भी तैयार है। मुख्यमंत्री ने लगातार बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण के लिए मार्गदर्शन भी दिया है। मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर तब होगा जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, स्वावलम्बी होगा।

मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की पहुंच और कार्यक्षेत्र पंचायत स्तर तक है। अतः प्रदेश निर्माण में दूर–दराज के क्षेत्रों को शामिल करने में विभाग अहम कड़ी साबित हो सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्वप्न और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश निर्माण की दिशा में अनूठी पहल की गई है होशंगाबाद जिले में। यह प्रयास किया है जिला कलेक्टर होशंगाबाद श्री धनंजय सिंह ने। ग्रामीण विकास विभाग के आजीविका स्व–सहायता समूह की महिलाएं प्रदेश भर में आजीविका और स्व–रोजगार निर्माण के लिए अनुकरणीय कार्य कर रही हैं। महिलाओं के समूह गांव–गांव में स्थानीय आवश्यक तथा उपयोगी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इन समूहों को आवश्यकता है तो सिर्फ उनके उत्पादों को मार्केट की उपलब्धता हो। जिला कलेक्टर होशंगाबाद ने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते महिलाओं के इन कदमों को दिशा दी और इन स्व–सहायता समूह की महिलाओं को कलेक्ट्रेट कार्यालय के परिसर में स्टॉल उपलब्ध करवाया।

जिला कलेक्टर ने स्टॉल उपलब्ध करवाने के साथ स्वतः भ्रमण भी किया। महिलाओं से चर्चा की, उत्पादों की

जानकारी ली और इन उत्पादों की बिक्री को विस्तार देने के लिए स्टॉल को अन्य शासकीय कार्यालयों में लगाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्री धनंजय सिंह ने जिला पंचायत सीईओ तथा जिला प्रबंधक आजीविका मिशन को निर्देशित किया कि स्व–सहायता समूह की महिलाओं की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिये बैंक लिंकेज बढ़ाएं। स्कूल यूनिफार्म बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर समूह की महिलाओं को दें और इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिये मैदानी स्तर पर लगातार निगरानी की जाए। समूह की महिलाओं को मार्केट लिंकेज, नॉलेज लिंकेज और बैंक लिंकेज की जानकारी देते हुए लाभान्वित करने के प्रयास करें।

### क्या कहती हैं समूह की महिलाएं

ग्राम जासलपुर के सरस्वती स्व–सहायता समूह तथा आजीविका स्टोर संचालित कर रहीं संगीता कटारे ने बताया की कलेक्टर परिसर में आजीविका स्टोर लगाने से हमारे स्व–सहायता समूहों द्वारा बनाये गए उत्पादों की अच्छी बिक्री हो पा रही है, साथ ही हमारे उत्पादों को पहचान भी मिल रही है। हमारी आय कई गुना बढ़ गयी है। अब हम अपने कार्य को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारे काम से जुड़कर गांव की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। हमें बाजार उपलब्ध कराने और हमारे उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए हम शासन के आभारी हैं। कलेक्टर कार्यालय में हमारे स्टॉल लगने से हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है। समूह के स्टॉल लगाने और हितलाभ को लेकर आजीविका मिशन जिला परियोजना प्रबंधक ने बताया कि स्व–सहायता समूहों के लोकल उत्पादों को आमजन द्वारा पसन्द किया जा रहा है, इन उत्पादों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिये निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

● **प्रस्तुति : विकास तिवारी**
लेखक पत्रकार हैं

# पंचायतों की व्यवस्था में लघु वनोपज को जोड़ा जाएगा

**लघु वनोपज के उत्पाद के लिये स्वयंसेवी संस्था के सहयोग की आवश्यकता है। वे संग्राहकों को हाट बाजार तैयार करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। जीपीडीपी प्लान बनाया जा रहा है। लघु वनोपज की उपलब्धता कम हो रही है। तेन्दूपत्ता नीति में संशोधन किया जायेगा। आंवला का उत्पादन कम हुआ है, इसके लिये समुदाय को जोड़ना होगा। ग्राम के 300 लोगों का समूह बनाया जाए। प्रधानमंत्री वन-धन योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य वन क्षेत्र का विकास करना है। मध्यप्रदेश में तीन चार ग्रामों का क्लस्टर बनेगा। इसमें वनवासी कल्याण परिषद भी सहयोग करेगी। ग्राम सभा में उपस्थिति को बढ़ाया जायेगा।**

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव की अध्यक्षता में लघु वनोपज के उत्पाद, उपार्जन संबंधी वर्तमान नीति में संशोधन संबंधी गठित समिति की बैठक 11 जनवरी को विन्ध्याचल भवन में सम्पन्न हुई।

बैठक में श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि लघु वनोपज के उत्पादों से संबंधित समस्त बिन्दुओं यथा, उत्पादन, उपार्जन, विपणन इत्यादि पर ग्राम सभाओं का प्रथम अधिकार की वर्तमान नीति का समग्र रूप से परीक्षण कर उसमें आवश्यक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश वन विभाग को समन्वयक और लघु वनोपज संघ की प्रबंध संचालक को सदस्य नियुक्त किया गया है।

बैठक में ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य तथा वार्षिक सम्मिलन संबंधी जानकारी दी गई।

बैठक में सुझाव दिया गया कि लघु वनोपज को ग्राम सभा से जोड़ा जायेगा। ग्राम के आर्थिक विकास के लिए ऐसी स्कीमों की पहचान तथा उनकी प्राथमिकता के सिद्धांतों को अधिकथित करना सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिये ऐसी योजनाएँ, जिसमें समस्त वार्षिक योजनायें सम्मिलित हैं। कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा।

बैठक में लघु वनोपज के उत्पाद के लिये स्वयंसेवी संस्था के सहयोग की आवश्यकता है।

संग्राहकों को हाट बाजार तैयार करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। जीपीडीपी प्लान बनाया जा रहा है। लघु वनोपज की उपलब्धता कम हो रही है। तेन्दूपत्ता नीति में संशोधन किया जायेगा। आंवला का उत्पादन कम हुआ है, इसके लिये समुदाय को जोड़ना होगा। ग्राम के 300 लोगों का समूह बनाया जाए। प्रधानमंत्री वन-धन योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य वन क्षेत्र का विकास करना है।

मध्यप्रदेश में तीन चार ग्रामों का क्लस्टर बनेगा। इसमें वनवासी कल्याण परिषद भी सहयोग करेगी। ग्राम सभा में उपस्थिति को बढ़ाया जायेगा। बैठक में विधायक श्री संजय शाह, श्री महेश कोरी, जिला लघु वनोपज संघ सागर, श्री रामनारायण साहू, जिला लघु वनोपज संघ सीहोर, श्री गिरीश कुवरे, श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव वन और श्रीमती पल्लवी जैन उपस्थित थे।

## योजनाओं के क्रियान्वयन में भष्टाचार बर्दाश्त नहीं

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में नवनिर्मित पंचायत भवनों का नाम स्व. कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से और सामुदायिक भवनों का नाम स्व. राजमाता सिंधिया के नाम से रखा जाये। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो, किसी भी प्रकार भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

श्री सिसौदिया ने कहा कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ऐसा पोर्टल बनाए जिसमें स्व-सहायता समूह अपने उत्पादकों की ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकें। मनरेगा अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों की विस्तारपूर्ण समीक्षा करते हुए मंत्री श्री सिसौदिया ने कहा कि मनरेगा के अधिकारी प्रतिदिन 4-5 हितग्राहियों से बात करें। मनरेगा के तालाबों का स्पाट वेरिफिकेशन करें।

वृक्षारोपण के लिए पहाड़ियों को चिन्हित किया जावे। पंचायत मंत्री श्री सिसौदिया ने निर्देश दिए ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम रोजगार सहायक सप्ताह में दो दिवस सोमवार और गुरूवार को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दें एवं ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करें। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, संचालक पंचायती राज श्री बी.एस. जामोद, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम. बेलवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

# वर्ष 2020 की महत्वपूर्ण घटनाएं

**23 मार्च 2020**

- श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद सीधे मंत्रालय पहुँचकर कोरोना संबंधी बैठक ली।

**24 मार्च 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 21 दिन के देश व्यापी लॉकडाउन के आह्वान पर प्रदेश के नागरिकों से पूरे सहयोग की अपील की।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना सहायता के रूप में एक माह का वेतन देने की घोषणा की।
- श्री इकबाल सिंह बैंस प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त।

**25 मार्च 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना प्रभावितों के लिए सहायता पैकेज की घोषणा की, जिसमें दो माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान, मजदूरों को एक-एक हजार रुपये की सहायता, विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को दो-दो हजार रुपये की राशि, मध्यान्ह भोजन के लिए विद्यार्थियों को राशि, कोरोना के इलाज के लिए शासकीय एवं अनुबंधित प्रायवेट अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था, ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर की राशि का उपयोग कोरोना नियंत्रण एवं लोगों की भोजन तथा आश्रय व्यवस्था के लिए किए जाने की स्वीकृति, मध्यान्ह भोजन के लिए पीडीएस दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न आदि शामिल।

**26 मार्च 2020**

- कोरोना संकट से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 01 लाख 70 हजार करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा, देश की 20.5 करोड़ महिलाओं के खातों में 500-500 रुपये प्रतिमाह की राशि, उज्ज्वला योजना में बीपीएल परिवारों को तीन महीने तक नि:शुल्क गैस सिलेण्डर फिलिंग तथा प्रधानमंत्री अन्न योजना में तीन माह तक 05 किलो अतिरिक्त गेहूं तथा चावल।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा अन्य राज्यों में फंसे मध्यप्रदेश के नागरिकों के लिए खान-पान, रुकने आदि व्यवस्था के निर्देश।

**27 मार्च 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोगों की मदद के लिए राज्य कंट्रोल रूम 104 तथा हेल्पलाइन 181 जारी।
- देशी, विदेशी शराबें तत्काल प्रभाव से बंद।

**28 मार्च 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा आगामी तीन माह के लिए नि:शुल्क उचित मूल्य राशन प्रत्येक गरीब को दिए जाने के निर्देश दिए।
- किसान क्रेडिट कार्ड, सम्पत्ति कर आदि जमा करने, सम्पत्ति क्रय-विक्रय की गाइड लाइन तथा फीस जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई।

**29 मार्च 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना काल में सभी तरह की फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों का वेतन न काटा जाए।
- भवन एवं संनिर्माण मजदूरों के खातों में राशि अंतरित।

**30 मार्च 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना में कार्य कर रहे शासकीय सेवकों को जो 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे थे की सेवानिवृत्ति तीन माह के लिए बढ़ाई गई।

**31 मार्च 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा विभिन्न योजनाओं तथा छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की।

**03 अप्रैल 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सभी धर्मगुरू एवं सामाजिक संगठनों से कोरोना नियंत्रण में पूरा सहयोग दिए जाने की अपील।
- मास्क एवं सेनेटाइजर की दरें निर्धारित।

**04 अप्रैल 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद एवं होम्योपैथी दवाएं वितरित करने के निर्देश।

**06 अप्रैल 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कोरोना से निपटने के लिए सालभर 30 प्रतिशत वेतन देने की घोषणा। अन्य मंत्रीगणों द्वारा भी ऐसी घोषणा की गई।

**08 अप्रैल 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा ऑनलाइन शिक्षण के लिए टॉप पेरेंट एप तथा डिजीलैप लाँच।

**09 अप्रैल 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कोरोना हॉटस्पाट क्षेत्रों को पूर्णत: सील करने के निर्देश।
- हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठकें नियमित करने तथा निर्धारित 14 बिन्दुओं पर समीक्षा के निर्देश।

**11 अप्रैल 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा क्वारेंटाइन

लोगों एवं उनके परिजनों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 18001330175 जारी।

**14 अप्रैल 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा गेहूँ का समर्थन मूल्य 1950 रुपये क्विंटल निर्धारित।
- कोरोना नियंत्रण के लिए आई. आई.टी.टी. अर्थात आइडेंटीफाई, आयसोलेट, टैस्ट एण्ड ट्रीट की रणनीति पर कार्य की योजना लागू।

**15 अप्रैल 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य में वृद्धि। महुआ 35 रुपये किलो तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के लिए 2500 रुपये प्रति मानक बोरा मूल्य निर्धारित।
- अन्य राज्यों में रुके मजदूरों के लिए एक-एक हजार रुपये की सहायता अंतरित।
- प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी प्रारंभ।

**16 अप्रैल 2020**

- कोविड सहायता कोष के लिए प्रत्येक शासकीय सेवक द्वारा एक-एक दिन का वेतन दिए जाने की घोषणा।

**18 अप्रैल 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कोरोना कार्य में लगे निजी चिकित्सा कर्मियों को भी स्वास्थ्य बीमा लाभ दिए जाने की घोषणा।

**19 अप्रैल 2020**

- राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना की प्रीमियम राशि 2200 करोड़ रुपये जमा करवाई, 15 लाख किसानों को मिलेंगे बीमा के 2990 करोड़ रुपये।

**21 अप्रैल 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कोरोना योद्धाओं के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लागू।

**23 अप्रैल 2020**

- कोटा में फंसे मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों को प्रदेश वापस लाया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उनसे की चर्चा।

**24 अप्रैल 2020**

- मनरेगा में प्रदेश की 19 हजार 500 ग्राम पंचायतों में 04 लाख 50 हजार मजदूरों को रोजगार दिया गया।

**25 अप्रैल 2020**

- ऊर्जा कर्मियों को भी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिलेगा।

**26 अप्रैल 2020**

- महिलाओं से मास्क निर्माण करवाने के लिए शासन ने शुरू की जीवन शक्ति योजना, पहले दिन 4200 महिलाओं ने करवाया पंजीयन।

**29 अप्रैल 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता कोष 02 करोड़ रुपये किए जाने का निर्णय।

**30 अप्रैल 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा मध्यान्ह भोजन के रसोईयों के खातों में कुल 42 करोड़ रुपये अंतरित।
- आदिवासी अंचलों में वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षा।

**01 मई 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 15 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा के 02 हजार 981 करोड़ रुपये अंतरित किए।

**02 मई 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 8.85 लाख श्रमिकों के खातों में 88.05 करोड़ रुपये अंतरित।

**03 मई 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रदेश से बाहर फंसे हुए श्रमिकों को रेल से लाने के लिए योजना तैयार।

**04 मई 2020**

- मनरेगा में मिला 11 लाख से अधिक श्रमिकों को काम।

**05 मई 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रदेश में संबल योजना पुन: प्रारंभ, 41.33 करोड़ रुपये हितग्राहियों को अंतरित।
- श्रम सुधारों के अंतर्गत 04 केन्द्रीय तथा 03 राज्य अधिनियमों में संशोधन।

**06 मई 2020**

- किसानों को मण्डी और सौदा पत्रक दोनों के माध्यमों से मिलेगी गेहूं बेचने की सुविधा।

**07 मई 2020**

- राज्य स्तरीय पुलिस हेल्पडेस्क गठित।

**10 मई 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 1040 लाड़ली लक्ष्मियों को 12.27 करोड़ रुपये के ई-सर्टिफिकेट जारी।

**12 मई 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सहरिया, भारिया एवं बैगा जनजाति महिलाओं के खातों में दो-दो हजार रुपये अंतरित।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त 08 हजार 241 हितग्राहियों के खातों में 82.41 करोड़ रुपये अंतरित की गई।

**15 मई 2020**

- प्रदेश में 03 लाख 39 हजार मजदूर वापस आए। बाहर के मजदूरों को सीमा पर छुड़वाने की व्यवस्था की गई। कुल 10 हजार बसें और 77 ट्रेन चलाई गईं।

**19 मई 2020**

- वर्ष 2023 तक हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य। इस वर्ष 2280 करोड़ रुपये देगी केन्द्र सरकार।

**22 मई 2020**
- प्रदेश में श्रम सिद्धी अभियान शुरू। हर मजदूर को मिलेगा कार्य।

**23 मई 2020**
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कृषि उत्पादक समूह, एफपीओ को बढ़ावा देने की घोषणा, हर किसान के पास होगा किसान क्रेडिट कार्ड।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि वितरण प्रारंभ।

**24 मई 2020**
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत डेढ़ लाख से अधिक विद्यार्थियों की फीस की 326 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सरकार ने जमा की।

**26 मई 2020**
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा संबल योजना में 3 हजार 300 हितग्राहियों के खातों में 72 करोड़ 66 लाख रुपये अंतरित।

**27 मई 2020**
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा ग्राम पंचायतों को पंच-परमेश्वर योजना के अंतर्गत 1555 करोड़ रुपये की राशि अंतरित।

**30 मई 2020**
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ते की राशि अंतरित।

**02 जून 2020**
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली दिए जाने की घोषणा।

**03 जून 2020**
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा स्वरोजगार के लिए 1743 स्व-सहायता समूहों को 20 करोड़ से अधिक का ऋण।

**04 जून 2020**
- श्रमिकों को लेकर अब तक 137 ट्रेन मध्यप्रदेश आयीं।

**05 जून 2020**
- प्रदेश में एकल नागरिक डाटाबेस बनाया जाएगा।

**06 जून 2020**
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा पथ व्यवसायियों के लिए शहरी पथ व्यवसायी योजना तथा पथ विक्रेता पोर्टल का शुभारंभ।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा दो कोयला खदानों का शुभारंभ।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 27 हजार 281 विद्यार्थियों की 18 करोड़ 88 लाख फीस जमा की।

**08 जून 2020**
- गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर।

**09 जून 2020**
- प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ। मजदूरों को 21 राज्यों में कहीं भी मिल सकेगा उचित मूल्य राशन।

**12 जून 2020**
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा उद्योगों को अनेक रियायतें दिए जाने की घोषणा।

**13 जून 2020**
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा इस वर्ष महिला स्व-सहायता समूहों को 1400 करोड़ रुपये का ऋण दिए जाने की घोषण।

**15 जून 2020**
- मध्यप्रदेश ने गेहूँ उपार्जन का ऑल टाइम रिकार्ड बनाया। प्रदेश में 129 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जित।
- प्रदेश में 909 फीवर क्लीनिक के माध्यम से 02 लाख मरीजों को कोरोना उपचार सुविधा।

**16 जून 2020**
- प्रदेश में रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 2933 प्रवासी मजदूरों को मिला रोजगार।

**19 जून 2020**
- मुख्यमंत्री श्री चौहान अमर शहीद स्व. श्री दीपक सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। गांव में शहीद की लगेगी प्रतिमा, सड़क का नामकरण भी शहीद के नाम पर होगा।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा चीनी सामान के बहिष्कार की प्रदेशवासियों से अपील।

**22 जून 2020**
- गरीबों को सस्ती बिजली देगी सरकार, 95 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा 623 करोड़ रुपये का लाभ।
- कृषि उपज मंडियों को 54 अंतर्राज्यीय नाके बंद होंगे।

**30 जून 2020**
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार गरीबों के लिए बड़ी राहत।

**01 जुलाई 2020**
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा किल कोरोना अभियान तथा सार्थक लाइट एप का शुभारंभ।

**02 जुलाई 2020**
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में 100 दिवस का कार्यकाल पूर्ण।

**03 जुलाई 2020**
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा शहरी पथ विक्रेता योजना की ही तरह ग्रामीण पथ विक्रेता योजना शुरू करने की घोषणा।
- राज्य शासन द्वारा 22 नगर परिषदों का गठन।

**04 जुलाई 2020**
- अब चंबल एक्सप्रेस वे चंबल प्रोग्रेस वे होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 781 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- 2358.75 करोड़ की सांवेर उद्ववहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी।

**05 जुलाई 2020**

- प्रदेश में फिल्म, टी.वी. सीरियल की शूटिंग के लिए एमपी टूरिज्म द्वारा एडवाइजरी जारी।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर मध्यप्रदेश के बासमती चावल को जी.आई. टैग दिलवाने का आग्रह किया।

**08 जुलाई 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना तथा कामगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ।

**10 जुलाई 2020**

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वी.सी. से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण।

**12 जुलाई 2020**

- मध्यप्रदेश स्ट्रीट वेंडर योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अव्वल, 15 हजार 500 हितग्राहियों को 15 करोड़ 50 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत।

**13 जुलाई 2020**

- प्रदेश के 15 लाख 80 हजार किसानों से 129.34 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जित कर मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा माफियाओं के खिलाफ सघन अभियान चलाए जाने के निर्देश।
- मध्यप्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक तथा अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को कैबिनेट की स्वीकृति।

**15 जुलाई 2020**

- नाबार्ड द्वारा मध्यप्रदेश के लिए 1425 करोड़ रुपये की नई सिंचाई परियोजना स्वीकृत।
- प्रदेश में एसिड पीड़ितों को पेंशन के साथ अब 05-05 हजार रुपये की प्रतिमाह आर्थिक सहायता।

**16 जुलाई 2020**

- नर्मदा कंट्रोल बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश को आवंटित नर्मदा जल का 2024 तक पूरा उपयोग करने के लिए रोडमैप बनाए जाने के निर्देश दिए।

**20 जुलाई 2020**

- जनसंपर्क विभाग की विज्ञापन व्यवस्था ऑनलाइन हुई।
- मंत्रिपरिषद द्वारा उद्योग संवर्धन नीति के अंतर्गत 25 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश की निर्माण इकाइयों को मेगा स्तर की इकाई मान्य किए जाने की स्वीकृति।

**23 जुलाई 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रदेश के ऐसे लगभग 37 लाख गरीबों को जिनके पास खाद्य सुरक्षा पात्रता पर्ची नहीं है, उन्हें पर्ची जारी किए जाने व उचित मूल्य राशन दिए जाने के निर्देश।
- घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि के लिए 10 घंटे बिजली के निर्देश।

**26 जुलाई 2020**

- माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए रुक जाना नहीं योजना लागू।
- मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदाय योजना पुन: प्रारंभ।

**28 जुलाई 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में देश की पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक हुई।
- भारत माला परियोजना के अंतर्गत चंबल प्रोगेस-वे के निर्माण को स्वीकृति।

**30 जुलाई 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा नई शिक्षा नीति के संबंध में बैठक ली गई, छठवीं कक्षा से प्रारंभ होगा व्यावसायिक शिक्षा, पाठ्यक्रम में योग एवं नैतिक शिक्षा को विशेष महत्व।

**01 अगस्त 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा किल कोरोना अभियान - 2 प्रारंभ। अभियान की थीम संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो।

**06 अगस्त 2020**

- मध्यप्रदेश में भामा शाह योजना पुन: प्रारंभ होगी।

**07 अगस्त 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए रोडमैप तैयार करने संबंधी वेबिनार का शुभारंभ।

**08 अगस्त 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा ईज ऑफ लाइफ सरकार का ध्येय, सिंगल सिटीजन डाटाबेस शीघ्र बनाया जाएगा।

**10 अगस्त 2020**

- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर वेबिनार।

**11 अगस्त 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चार दिवसीय वेबिनार के समापन सत्र को संबोधित किया। 01 सितम्बर से प्रारंभ हो जाएगा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप पर कार्य।

**15 अगस्त 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 37 फीट ऊँची भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वाधीनता दिवस समारोह में नि:शुल्क खाद्यान्न महाअभियान, मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप, प्रदेश में सी.एम. राईज स्कूल बनाए जाने, स्व-सहायता समूहों को 04 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण, एक जिला एक उत्पाद योजना, शासकीय कार्यक्रम के बेटियों के पूजन के साथ प्रारंभ, 15 अगस्त से आदिवासी एवं

गरीबों को दिए गए अवैध ऋण शून्य होने, भोपाल में 50 बिस्तरीय पुलिस अस्पताल, प्रदेश में 2023 तक एक करोड़ नल कनेक्शन, सभी नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन प्रदाय, नर्मदा एक्सप्रेस-वे निर्माण, स्टार्ट यूअर बिजनेस इन 30 डेज योजना, सिंगल सिटीजन डाटाबेस, ग्रामीण जनता को आवासीय भूखण्ड पर मालिकाना हक दिए जाने आदि की घोषणा की।

**16 अगस्त 2020**

- चंबल प्रोग्रेस-वे का नाम अटल प्रोग्रेस-वे होगा।

**17 अगस्त 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं से बातचीत की। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल।
- मनरेगा योजना में अभी तक 79 लाख 80 हजार श्रमिकों को रोजगार दिलाया गया।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शासकीय सेवाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थी ही लिए जाएंगे।

**19 अगस्त 2020**

- 01 सितम्बर से हर गरीब को मिलेगा एक रुपये किलो गेहूं, चावल, नमक। नवम्बर तक 05 किलो प्रति व्यक्ति नि:शुल्क राशन। प्रदेश के 37 लाख गरीब होंगे लाभान्वित।

**20 अगस्त 2020**

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर। इंदौर लगातार चौथी बार देश का स्वच्छतम शहर। भोपाल बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल घोषित।

**21 अगस्त 2020**

- शाजापुर के श्री योगेश मालवीय को द्रोणाचार्य पुरस्कार तथा ग्वालियर के श्री सत्येन्द्र सिंह को तेनजिंग नोंरगे नेशनल एडवेंचर अवॉर्ड।
- मुख्यमंत्री ने केन्द्र की कृषि अधोसंरचना कोष स्थापना के निर्णय की सराहना की।
- प्रदेश में 362 आयुष वेलनेस सेंटर तथा 45 नवीन आयुष गांव की स्थापना होगी।

**22 अगस्त 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा बाढ़ आपदा नियंत्रण के निर्देश, आपदा नियंत्रण केन्द्र 24 घंटे संचालित करें।

**26 अगस्त 2020**

- मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी अब मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन होगी।

**28 अगस्त 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा इंदौर में 237 करोड़ रुपये की लागत के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण।

**29 अगस्त 2020**

- मध्यप्रदेश में मलखम्ब के लिए खुलेगी खेल अकादमी।

**30 अगस्त 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा रातभर जागकर की बाढ़ नियंत्रण कार्यों की मॉनीटरिंग।
- जेईईमेन और नीट 2020 के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक आने जाने के लिए नि:शुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी।

**01 सितम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा होम क्वारेंटाइन को प्रभावित बनाने के लिए हर जिले में कमाण्ड एंड कंट्रोल रूम बनाए जाने के निर्देश दिए।
- गुणवत्ताविहीन चावल प्रकरण में गुणवत्ता नियंत्रकों की सेवाएं समाप्त। जिला प्रबंधक निलंबित। मिलर्स के खिलाफ एफ.आई.आर.।

**05 सितम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की राशि जारी। वित्तीय वर्ष में दिए गए कुल 03 हजार 984 करोड़।
- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में मध्यप्रदेश भारत में चौथे स्थान पर।

**06 सितम्बर 2020**

- प्रदेश के 01 लाख 40 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपये का ब्याजमुक्त ऋण स्वीकृत।

**07 सितम्बर 2020**

- खदानों में 75 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के मूल निवासियों को।
- प्रधानमंत्री आवास योजना में 68 हजार हितग्राहियों को 102 करोड़ रुपये अंतरित।
- बाढ़ नुकसान के मुआवजे के साथ ही पीड़ितों को 50-50 किलो मुफ्त अनाज।

**12 सितम्बर 2020**

- प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को कराया गया गृह प्रवेश। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान को एक लाख 75 हजार आवासों में गृह प्रवेश पर बधाई दी।
- मुरैना में खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज।

**16 सितम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल में किया अन्न उत्सव का शुभारंभ।

**18 सितम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 22 लाख किसानों को फसल बीमा के 04 हजार 686 करोड़ रुपये अंतरित किए।

**19 सितम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा वनाधिकार पट्टे वितरित।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कृषि कानूनों की सराहना की गई। किसानों की समृद्धि का आधार बनेंगे नए कानून।

**21 सितम्बर 2020**

- राज्य विधानसभा में मध्यप्रदेश

अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक तथा मध्यप्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 पारित।

**22 सितम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण के लिए बैंकों और समितियों को 800 करोड़ रुपये जारी।
- प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिन पर प्रारंभ हुआ गरीब कल्याण सप्ताह– 'सबका साथ सबका विकास।'
- प्रदेश में लागू होगी किसान सम्मान निधि योजना। वर्ष में दो किश्तों में मिलेंगे दो–दो हजार रुपये।
- राज्य मंत्रिपरिषद ने लिया निर्णय– आवासीय नजूल भूमि के स्थाई पट्टेदारों को अब मिल सकेगा भूमि स्वामी का हक।

**23 सितम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा संबल योजना में 80 करोड़ की राशि अंतरित।

**24 सितम्बर 2020**

- स्ट्रीट वेंडर योजना में ब्याज मुक्त ऋण के साथ परिचय पत्र भी मिलेंगे।

**25 सितम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 16 हजार 208 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 40 करोड़ 52 लाख रुपये अंतरित।
- राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण।

**26 सितम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 01 लाख 72 हजार किसानों को फसल बीमा की तथा 01 लाख 75 हजार किसानों को कल्याण निधि जारी।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 1587 करोड़ की नर्मदा उद्वहन सिंचाई योजना का भूमिपूजन किया।

**28 सितम्बर 2020**

- अनुसूचित जाति वर्ग की 47 हजार से अधिक कन्याओं को मिली प्रोत्साहन राशि।

**29 सितम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा केन्द्रीय रसायन मंत्री से मुलाकात कर प्रदेश का यूरिया आवंटन 18 लाख से बढ़ाकर 22 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की। प्रधानमंत्री श्री मोदी से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से प्रदेश के लिए 3646.41 करोड़ रुपये राशि की मांग की।

**02 अक्टूबर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा माफियाओं एवं चिटफंड कम्पनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश।

**06 अक्टूबर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा अवैध रेत खनन एवं परिवहन सख्ती से रोके जाने तथा वैध ठेकेदारों को परेशान नहीं किए जाने के निर्देश।

**07 अक्टूबर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम पडिया पहुँचकर दी शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी को श्रद्धांजलि। एक करोड़ की राशि के साथ ही राज्य सरकार द्वारा शहीद परिवार को पूर्ण सहयोग ग्राम में शहीद की प्रतिमा, मार्ग का नामकरण, परिजन को सरकारी नौकरी।

**08 अक्टूबर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में 13 हजार ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण।

**14 अक्टूबर 2020**

- ऑक्सीजन संयंत्र के लिए निवेश प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 107 नल–जल योजनाओं का लोकार्पण किया।

**15 अक्टूबर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा उज्जैन में विषैले पदार्थ सेवन कांड में मौतों की एस.आई.टी. जाँच की घोषणा। नशीला पदार्थ बेचने वालों के नेटवर्क को ध्वस्त करें।

**21 अक्टूबर 2020**

- केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने प्रदेश में कोरोना नियंत्रण संबंधी किये गये प्रयासों के लिए मध्यप्रदेश की सराहना की।

**24 अक्टूबर 2020**

- प्रदेश के बिगड़े वन क्षेत्रों के पुनर्स्थापन के लिए निजी निवेशकों को दिया जाएगा जिम्मा।

**29 अक्टूबर 2020**

- नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए बेहतर समन्वय के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित।

**02 नवम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 05 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 100 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की।

**04 नवम्बर 2020**

- प्रदेश में सिंचाई के लिए बिजली प्रदाय का 'फ्लेक्सी प्लान' लागू होगा।
- मध्यप्रदेश में नहीं बिकेंगे चीनी पटाखे, दण्डात्मक कार्रवाई होगी। प्रदेश में लव जिहाद के विरुद्ध बनेगा कानून।
- मिलाटवखोरी को बनाया जाएगा 'संज्ञेय अपराध'
- शासकीय कर्मचारियों को दस हजार रुपये का त्योहार अग्रिम और एरियर्स भुगतान।

**06 नवम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्णय लिया कि बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कामधेनु गौ-अभ्यारण्य सालरिया को भारत का आदर्श गौ-सेवा केन्द्र बनाये जाने की घोषणा।

**07 नवम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 'योग फॉर इम्यूनिटी' वेबिनार का शुभारंभ।

**08 नवम्बर 2020**

- इंदौर जिले में अतिक्रमण रिमूवल की बड़ी कार्यवाही। कम्प्यूटर बाबा सहित सात व्यक्तियों का भेजा गया जेल।

**09 नवम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान स्व. विजय सहरिया के परिजनों से मिलने उनके निवास पहुंचे। मृतक की पत्नी को शासकीय नौकरी, 6 माह तक गुजारा राशि, संबल योजना से 04 लाख रुपये और पक्का मकान देने के निर्देश।

**11 नवम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा संभागों के लिए रवाना की चलित प्रयोगशालाएं।
- मध्यप्रदेश के इतिहास में 2789.55 लाख यूनिट बिजली सप्लाई का नया रिकार्ड कायम।

**12 नवम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप 2023 जारी। नीति आयोग ने की मध्यप्रदेश की पहल की प्रशंसा।

**13 नवम्बर 2020**

- विक्रम अवॉर्डी दस खिलाड़ियों को खेल विभाग ने उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया।
- चिकित्सा महाविद्यालयों में 970 नर्सिंग सीट्स बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

**15 नवम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 15 नवम्बर को हर वर्ष मनाया जाएगा जनजाति गौरव दिवस।

**18 नवम्बर 2020**

- मध्यप्रदेश में गौ-कैबिनेट के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय।

**19 नवम्बर 2020**

- प्रदेश में 32 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित। 18 लघु वनोपजों का पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित।
- मिलावट से मुक्ति अभियान।

**20 नवम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कोरोना की स्थिति की समीक्षा। प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन।

**22 नवम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गौ-अभ्यारण्य सालरिया में गोपाष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। गौवंश संरक्षण के लिए गौ-वंश अधिनियम बनाया जाएगा। गौ-सेवा में संलग्न संस्थाओं और संत समाज से चर्चा कर गौ-पालन की नई नीति बनेगी।

**23 नवम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा किसानों को सब्जियों के सही दाम मिले, थोक व खुदरा मूल्य में अधिक अंतर न हो। समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने के संबंध में रिपोर्ट तैयार करें।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वर्चुअल क्रेडिट कैम्प में महिलाओं को 150 करोड़ रुपये की ऋण राशि अंतरित की।

**25 नवम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा मध्यप्रदेश के सभी वनग्राम राजस्व ग्राम बनाए जाएंगे। शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह की स्मृति में जबलपुर में स्मारक बनाया जायेगा।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उमरिया जिले के किरनताल में औचक निरीक्षण कर सुलझाईं आदिवासियों की समस्याएं। सभी पात्र आदिवासी बंधुओं को मिलेंगे काबिज भूमि के पट्टे।

**26 नवम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया निर्णय कि अब 1.50 रुपये के स्थान पर 50 पैसे होगा मंडी शुल्क। 14 नवंबर 2020 से आगामी 03 माह के लिए लागू होगी यह छूट।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ली पर्यटन कैबिनेट की बैठक। पर्यटन के लिए लीज पर ली गई शासकीय भूमि पर होगी बैंक से ऋण लाने की पात्रता।

**27 नवम्बर 2020**

- कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश का 'मोस्ट इम्प्रूव्ड' राज्य। मुख्यमंत्री श्री चौहान को इंडिया टुडे समूह की ओर से दिया गया अवॉर्ड। प्रदेश के 'सकल मूल्य वर्धित' में कृषि क्षेत्र को 45 प्रतिशत योगदान।

**01 दिसम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप, कोविड-19 की वर्तमान स्थिति एवं टीकाकरण संबंधी विस्तृत चर्चा की।

**03 दिसम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर श्रद्धांजलि और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कल्याणी बहनों की पेंशन फिर प्रारंभ होगी, स्मारक भी बनेगा।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नसरुल्लागंज सीहोर में 05 लाख किसानों के खातों में 100 करोड़ रुपये की राशि अंतरित।

**04 दिसम्बर 2020**

- प्रदेश में सड़कों का 'असैट मैनेजमेंट सिस्टम' लागू होगा।

**05 दिसम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को बनाएंगे देश का लॉजिस्टिक हब।
- मध्यप्रदेश सरकार 'म.प्र. स्वातंत्र्य अधिनियम 2020' लाएगी।

- प्रदेश में 'आयुष्मान कार्ड' बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

**06 दिसम्बर 2020**

- ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल।

**10 दिसम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से शामिल हुए।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने परिवहन विभाग में मोबाइल गवर्नेंस लागू करने के निर्देश दिए।

**11 दिसम्बर 2020**

- प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। विशेष अभियान चलाकर जड़ों पर प्रहार करें।
- फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी को लेना होगा अनुबंध मूल्य पर धान। नए कृषि कानून अंतर्गत प्रशासन को किसानों के हित में बड़ा फैसला। 24 घंटें में मिला किसानों को न्याय।

**14 दिसम्बर 2020**

- प्रदेश की 50 नई सिंचाई योजनाओं का हुआ वर्चुअल लोकार्पण।

**15 दिसम्बर 2020**

- लोक सेवा गारंटी में अब तक 532 सेवाएँ अधिसूचित।

**18 दिसम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रायसेन में महासम्मेलन में 35.50 लाख किसानों को फसल नुकसानी की 1600 करोड़ रुपये की राशि अंतरित।

**20 दिसम्बर 2020**

- निवेश बढ़ाने के क्षेत्र में मध्यप्रदेश भारत में अग्रणी। 'इन्वेस्ट इंडिया' के सर्वे में मध्यप्रदेश को मिले 97 प्रतिशत अंक।

**21 दिसम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रस्तावित वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020 संबंधी बैठक ली। निजी भूमि पर लगाए गए नए वृक्षों को बिना अनुमति काट सकेंगे। निजी भूमियों पर सभी प्रजाति के पेड़ों के रोपण की खुली छूट रहेगी।

**22 दिसम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा मध्यप्रदेश में सही मायनों में होना चाहिए 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस'। 30 दिन में मिल जाएं सारी अनुमतियां।

**23 दिसम्बर 2020**

- शौर्य स्मारक चौराहे के पास स्थापित होगी अटल जी की प्रतिमा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया स्थल निरीक्षण।

**25 दिसम्बर 2020**

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि के कुल 18 हजार करोड़ रुपये अंतरित किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने होशंगाबाद के बाबई से किसानों को संबोधित किया।

**26 दिसम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान का किसानों के हित में फैसला। किसान और फसल क्रय करने वाले व्यापारी के मध्य अनुबंध प्रपत्र को एसडीएम कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा।
- मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक सम्पन्न। मध्यप्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंत्रिपरिषद का अनुमोदन।

**28 दिसम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिखर खेल अलंकरण समारोह 2019 में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किये।

**29 दिसम्बर 2020**

- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल नगर में 115 करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण किया।
- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य अध्यादेश-2020 सहित 12 अध्यादेशों का अनुमोदन।
- जनहित में राज्य सरकार के बड़े फैसले - तय समय-सीमा में लोक सेवाएं अपने आप ही आवेदक को मिल जायेंगी, मिलावट करने पर अब आजीवन कारावास, प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी सजा का प्रावधान।

**30 दिसम्बर 2020**

- सिल्वर अवॉर्ड से सम्मानित 'खरगोन जिले को मिला डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता' के लिए प्लेटिनम पुरस्कार राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने ऑनलाइन कार्यक्रम में वितरित किये डिजिटल इंडिया पुरस्कार-2020
- एक करोड़ की लागत से होगा आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्द्धन केन्द्र का विस्तार
- पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने किया भूमिपूजन।
- पशुपालन मंत्री श्री पटेल द्वारा ग्राम रतौना में 15 करोड़ रुपये के पशु प्रजनन प्रक्षेत्र और कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र का लोकार्पण किया।

**31 दिसम्बर 2020**

- डॉ. राजकुमार आचार्य को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का कुलपति नियुक्त किया गया।

# बीपीडीपी एवं डीपीडीपी तैयार करने के संबंध में निर्देश जारी

**पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश**
**भविष्य निधि कार्यालय के समीप**
**अरेरा हिल्स, (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास) भोपाल**

**क्र. ...../पं.रा./RGSA/2020/14584** **भोपाल, दिनांक 23.12.2020**

प्रति,

1. कलेक्टर
   जिला–समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत – समस्त

**विषय : वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 हेतु Block Panchayat Development Plan (BPDP) एवं District Panchayat Development Plan (DPDP) तैयार करने के संबंध में।**

**संदर्भ** : संयुक्त सचिव भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय का पत्र क्र. DO No. M–11015/139/2020–CB दिनांक 09.12.2020

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसकी छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है, संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) ग्राम पंचायत स्तर से तैयार की जा रही है। 15वें वित्त आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में 2020–21 से समस्त जिला एवं जनपद पंचायत स्तर से Block Panchayat Development Plan (BPDP) एवं District Panchayat Development Plan (DPDP) तैयार किया जाना है।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उक्त के संबंध में अक्टूबर 2020 में (BPDP) एवं (DPDP) तैयार करने के संबंध में विस्तृत फ्रेम वर्क तैयार किया गया है जिसकी प्रति gpdp.nic.in portal में जाकर e-book section से डाउनलोड किया जा सकता है तदनुसार वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 हेतु Block Panchayat Development Plan (BPDP) एवं District Panchayat Development Plan (DPDP) तैयार करने के संबंध में निम्नानुसार विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. BPDP एवं DPDP तैयार करने के लिये प्रत्येक जिला एवं ब्लॉक स्तर से नोडल अधिकारी का नामांकन किया जावे जिनका दायित्व होगा कि पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गये इस संबंध में दिशा–निर्देश एवं फ्रेमवर्क अनुसार कार्ययोजना तैयार करवायेंगे।
2. प्रत्येक जिले से जिला स्तर पर District Level Trainer Team (DLTTs) का नामांकन/गठन किया जावेगा, जिसमें लगभग 10 से 40 दक्ष प्रशिक्षकों/विषय विशेषज्ञ/डोमेन एक्सपर्ट को सदस्य के रूप में चयनित करेंगे।
3. राज्य स्तर से एमजीएसआईआरडी जबलपुर के सहयोग से नामांकित स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर टीम (SLMTTs) के द्वारा बीपीडीपी एवं डीपीडीपी प्लान तैयार करने के संबंध में जिला स्तर पर District Level Trainer Team (DLTTs) को तीन दिवसीय ऑनलाइन/फेस टू फेस प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।, जिला स्तर से जिलेवार प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर टीम की सूची जिलों से एमजीएसआईआरडी को एवं एमजीएसआईआरडी द्वारा संचालनालय को प्रेषित करेंगे।
4. Block Panchayat Development Plan (BPDP) की निर्माण की तैयारी हेतु जनपद पंचायत स्तर पर सामान्य बैठक बुलाये जाकर इंटरमीडिएट पंचायत प्लानिंग कमेटी (IPPC) एवं सेक्टोरियल वर्किंग ग्रुप (SWGs) का गठन करेंगे, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं एवं 11वीं अनुसूची से संबंधित विषयों के विषय विशेषज्ञ/लाइन विभागों के अधिकारी/डोमेन एक्सपर्ट आदि को सम्मिलित करेंगे। जिसमें विशेष रूप से मिशन अन्त्योदय सर्वे एसईसीसी, जीआईएस, ई–ग्राम स्वराज आदि के ऊपर विषय विशेषज्ञता रखने वाले रिसोर्स पर्सन को प्रमुखतः से शामिल किया जावे।
5. District Level Trainer Team (DLTTs) के द्वारा फेस टू फेस/ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर गठित IPPC एवं SWGs के सदस्यों को बीपीडीपी के ऊपर तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदाय करेंगे।

6. निम्नानुसार समय सारणी अनुसार उपरोक्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :–

| Step | Activity | Timeline | Responsibility |
|---|---|---|---|
| Step-1 | (A) Selection of 10-40 quality trainers as members of District Level Trainers's Teams (DLTT) and communication about the same to State RD&PR Department and SIPRDs<br>(B) Three days Online Training of DLTTs on BPDP simultaneously in groups across the States & UTs | (A) Within 30 December 2020<br>(B) 01-10 January 2021 | (A) By District Administration<br>(B) SLMTTs (under supervision of SIPRD) |
| Step-2 | General Meeting of each Block Panchayat and information of Intermediate Panchayat Planning Commitee (IPPC) and Sectorial Working Groups (SWGs) with proactive members | 01-10 January 2021 | Block Panchayat (under supervision of District Administration) |
| Step-3 | Three day's Face-to-Face/Online Training of the Members of IPPCs and SWGs on BPDP in groups simultaneously across the States/UTs | 14-20 January 2021 | DLTTs (under supervision of District Administration) |
| Step-4 | First Block Sabha in all Block Panchayats alont with inception of Environment Creation | 21-28 January 2021 | Block Panchayats |
| Step-5 | Collection and Consolidation of Data with focus on Data emanating from GPDPs, Census, SECC, Mission Antyodaya, GIS, line departments and the primary data of Block Panchayat itself | 28-30 January 2021 | IPPC & SWGs (with support from Block and line dept. officials) |
| Step-6 | Situation Analysis, based on the consolidated data and also Spatial Analysis of Needs and Preparation of Development Status Report (DSR) | 01-05 February 2021 | Ditto |
| Step-7 | Special (Second) Block Sabha with focus on appraisal of the DSR by members of Block Sabha, seeking their views on Perspective & futuristic planning and Sustainable Development | 05-10 January 2021 | Block Panchayats |
| Step-8 | Identification of Localised SDGs and targets under them and Strategy Formulation to achieve Sustainable Development | 10-12 February 2021 | IPPC & SWGs (with support from Block and line dept. offcials) |
| Step-9 | Firming up of Resource Envelope, Visioning Exercise and Identification & Prioritisation of Plan Activities | 13-15 February 2021 | Block Panchayats (with support from IPPC, SWGs and Block & line dept. officials) |

| Step | Activity | Timeline | Responsibility |
|---|---|---|---|
| Step-10 | Preparation of Draft BPDP & Budget for 2 years-2020-21 and 2021-22 | 15-18 February 2021 | A core group from IPPC & SWGs |
| Step-11 | Projectisation of the Prioritised Plan Activities, based on the Draft BPDP & Budget for the said year | 15-20 February 2021 | IPPC & SWGs (with support from Block and line dept. officials) |
| Step-12 | Third Block Sabha for approval of the BPDP & Budget for 2 years | 20-24 February 2021 | Block Panchayats |
| Step-13 | Uploading of the approved Plan Activities & Budget on e-GramSwaraj Portal and giving approval status to the Plan Activities | 25-26 February 2021 | IPPC & SWGs (with support from technical personnel) |
| Step-14 | Strategy Formulation for Implementation & Monitoring of BPDP | 20-25 February 2021 | Block Panchayats |
| Step-15 | Preparation of the final documents of BPDP & Budget and sharing of the same with GPs, District Panchayat, DPC, line department offices at Block level and all others concerned | 25-26 February 2021 | Block Panchayats |
| Step-16 | Actual Implementation and Monitoring of the BPDP by Block Panchayat, Gram Panchayats (based on devolution/delegation), CSOs/NGOs, line depait ments and others as per decision of the Block Panchayats | 2020-21 and carried over through 2021-22 01 March onwards | Block Panchayats |

7. वीपीडीपी एवं डीपीडीपी अंतर्गत लिये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य/क्षेत्र/विषय जिसके आधार पर योजनाएं बनाई जाने हेतु प्राथमिकता दी जानी है जिसका विवरण भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए खंड और जिला विकास योजना की तैयारी की रूपरेखा (मार्गदर्शिका) के अध्याय 4 अंतर्गत पेज क 51 से 125 में उल्लेखित बिन्दु क्र. 4.1 से 4.23 तक के विषयों का संदर्भ लेते हुए कार्ययोजना तैयार की जावे।

a. **जिला स्तर पर लिये जाने वाले कार्य –** ऐसे कार्य जो कि एक एवं एक से अधिक जनपद पंचायतों/संकुलों एवं संबंधित जिले के ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हों।

b. **जनपद स्तर पर लिये जाने वाले कार्य –** ऐसे कार्य जो कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों/संकुल एवं संबंधित जनपद पंचायत से संबंधित हों।

c. जिला एवं जनपद स्तर पर ऐसे नवाचार/आजीविका मूलक कार्य/बेस्ट प्रेक्टिसेस जिससे पूरे जिले का विकास हो एवं जिले के जनपद/ग्राम संकुल/ग्राम पंचायतों लाभांवित हो ऐसे कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिये जा सकेंगे।

d. भारत शासन की 15वें वित्त आयोग के दिशा–निर्देश अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत राशि का उपयोग पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों कार्ययोजना में शामिल किये जा सकते हैं।

8. वीपीडीपी एवं डीपीडीपी निर्माण के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व पंचायत राज संचालनालय से समय–समय पर इस संबंध/15वें वित्त आयोग से संबंधी निर्देशों/परिपत्रों का संदर्भ लेते हुए कार्ययोजना तैयार करना सुनिश्चित करें।

9. तकनीकी समस्याओं के निदान/निराकरण हेतु जिला/जनपद स्तर पर तकनीकी सेल/कन्ट्रोल रूम का गठन करें, जिसमें एनआईसी के तकनीकी अधिकारी, ई–गवर्नेंस प्रबंधक, सीनियर डेटा मैनेजर एवं अन्य तकनीकी रिसोर्स पर्सन, शामिल होकर तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

**संचालक**
**पंचायत राज संचालनालय**
**मध्यप्रदेश, भोपाल**

**क्र...../पं.रा./RGSA/2020** **भोपाल, दिनांक.....12/2020**

**प्रतिलिपि :–**

1. अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त सचिव भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक एनआईआरडी की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त मनरेगा परिषद् की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक ग्रामीण रोजगार की ओर सूचनार्थ।
7. सीईओ एमपीएसआरएलएम की ओर सूचनार्थ।
8. संचालक वाल्मी/एसआईआरडी, जबलपुर/एसजीआई पचमढ़ी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।
9. संयुक्त संचालक आरजीएसए पंचायतराज संचालनालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।
10. जिला कार्यक्रम प्रबंधक आजीविका मिशन समस्त की ओर सूचनार्थ।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

**संचालक**
**पंचायत राज संचालनालय**
**मध्यप्रदेश, भोपाल**

# ग्राम सभा का सम्मिलन आयोजित करने के संबंध में निर्देश जारी

**पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश**
**भविष्य निधि कार्यालय के समीप**
**अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास), भोपाल**

**क्रमांक/पं.रा./एफ-1-27-2958/2021/0179** **भोपाल, दिनांक 05.01.2021**

प्रति,

1. कलेक्टर
   जिला - समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत - समस्त
   मध्यप्रदेश

**विषय : ग्राम सभा का सम्मिलन आयोजित करने के संबंध में।**

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-6 के अनुसार ग्राम सभा का सम्मिलन कम से कम जनवरी, अप्रैल, अगस्त तथा अक्टूबर में होगा। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा, यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त सम्मिलन बुला सकेगी और जिले का कलेक्टर ऐसे सम्मिलनों के समुचित इंतजाम के लिए शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को नाम निर्देशित करेगा, जो सम्मिलन की कार्यसूची (एजेण्डा) का परिपालन तथा तारीख, समय तथा स्थान की सूचना समय पर तामील किया जाना सुनिश्चित करेगा और सम्मिलन की कार्यवाहियों का सम्यक संचालन भी सुनिश्चित करेगा।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्तानुसार 04 ग्राम सभाओं के अलावा जिला कलेक्टर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च एवं विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून को ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त निर्देश के साथ निम्नानुसार निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाए -

1. ग्राम सभाएं रोटेशन में ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों में पृथक-पृथक आयोजित की जाएं।
2. जब ग्राम पंचायत के मुख्यालय के गांव में ग्राम सभा का आयोजन हो तो सभी ग्रामों के लोग उपस्थित हों।
3. वर्तमान में प्रत्येक ग्राम सभा के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी सामान्यतः क्लस्टर/सेक्टर लेवल के होते हैं, कुछ चयनित ग्राम सभाओं में जिला/विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को भी नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।
4. कोरम की पूर्ति एक औपचारिकता का विषय नहीं, प्रचार-प्रसार की प्रभावोत्पादकता का विषय है, उसे सुनिश्चित करें।
5. ग्राम सभा की वीडियोग्राफी भले ही वह मोबाइल रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो, सुनिश्चित की जाए।
6. ग्राम सभा की बैठक का कार्यवाही विवरण बैठक समाप्त होने के पूर्व पढ़कर सुनाया जाए।
7. इन ग्राम सभाओं की बैठकों को आकर्षक व रोचक बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व अन्य विकास विभागों का आई.ई.सी. मटेरियल/सी.डी. आदि दृश्य/श्रव्य माध्यमों से डिस्प्ले की व्यवस्था की जाए।
8. ग्रामसभा की बैठकों में महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, युवाओं व दिव्यांगों की उपस्थिति ग्राम सभाओं की जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित की जाए।
9. कोविड-19 के तहत शासन स्तर से जारी निर्देशानुसार प्रभावी कार्यवाही करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित किया जावे।

**संचालक**
**पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.**

# जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्थायी समिति के रूप में जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन

**मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड**
**मध्यप्रदेश शासन की वैधानिक स्वायत्त एवं नियामक संस्था)**

**क्रमांक/जैविबो/सहा. स.स. (सी एण्ड डी)/2021/84** **भोपाल, दिनांक 11.01.2021**

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर
   मध्यप्रदेश

**विषय : जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्थायी समिति के रूप में जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन बावत्।**

**संदर्भ** : 1. मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 497 दिनांक 28.12.2020.

2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक/आर-840/1559/22/पं.-2/2020 दिनांक 26.11.2020

विषयांकित संदर्भ में लेख है कि मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 497 दिनांक 28.12.2020 अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 95 की उप धारा (3) के उपनियम (1) के खण्ड (क) - ''भूमि विकास तथा संरक्षण'' के स्थान पर ''भूमि विकास तथा संरक्षण, जैवविविधता का प्रोत्साहन, संरक्षण, अविरत उपयोग और दस्तावेजीकरण एवं उनका मध्यप्रदेश जैवविविधता बोर्ड की तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन के अनुसार प्रबंधन'' का संशोधन किया गया है (संलग्न-1)। उक्त संशोधन अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर गठित स्थायी समिति के कर्त्तव्यों में ''जैवविविधता'' विषय को सम्मिलित किया गया है।

जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर गठित स्थायी समितियों में जैवविविधता प्रबंधन समितियों को सम्मिलित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक/आर-840/1559/22/पं-2/2020 दिनांक 26.11.2020 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं (संलग्न-2)।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संलग्न राजपत्र एवं कार्यालयीन पत्र के क्रम में तथा जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों के गठन/पुनर्गठन की कार्यवाही कर मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को अवगत कराने का कष्ट करें।

**संलग्न** :- उपरोक्तानुसार

11.01.2021

**(जसबीर सिंह चौहान)**
**सदस्य सचिव**

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 497] भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2020—पौष 7, शक 1942


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 2-6-2020-बाईस-पं.-1.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक एक, सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में जो कि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर, 2013 द्वारा पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में, उपनियम (1) के खण्ड (क) में, शब्द ''भूमि विकास तथा संरक्षण'' के स्थान पर, शब्द ''भूमि विकास तथा संरक्षण, जैव विविधता का प्रोत्साहन, संरक्षण, अविरत उपयोग और दस्तावेजीकरण एवं उनका मध्यप्रदेश जैव विविधता बोर्ड की तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन के अनुसार प्रबंधन'' स्थापित किए जाएं.

No. F. 2-6-2020-XXII-P-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 of the Madhya Pradesh Panchyat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Gram Panchyat (Term of Office of Members of Standing Committee and Procedure for the conduct of Business) Rules, 1994, the same has been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, in the Madhya Pradesh Gazette, dated 12th November, 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Rule 3, in sub-rule (1), in clause (a), for the words "land development and protection", the words "land development and protection, promoting conservation, sustainable use and documentation of biological diversity and management thereof according to the technical support and guidance of the Madhya Pradesh Biodiversity Management Board" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**शोभा निकुंम,** अवर सचिव.

# जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के गठन के संबंध में निर्देश जारी

**मध्यप्रदेश शासन**
**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**
**मंत्रालय, भोपाल**

**क्रमांक 840/1559/2/पं.-22/2020** **भोपाल, दिनांक 26 नवंबर, 2020**

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश

**विषय : जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के गठन के संबंध में।**

**सन्दर्भ** : विभाग का पत्र क्रमांक 2128/22/पं.-2/94/1565, दिनांक 28.09.1994

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1994 की धारा 47 में जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान है। उपधारा (2) में यह भी प्रावधान है कि पांच स्थायी समितियों के अतिरिक्त, जनपद पंचायत या जिला पंचायत विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से किन्हीं ऐसे अन्य विषयों के लिए, जो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट नहीं है, एक या अधिक ऐसी समितियों का गठन कर सकेगी।

उपधारा (2) के अनुसार उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में एकरूपता की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा अधिनियम के प्रावधान अनुसार गठित की जाने वाली पांच स्थायी समितियों के अतिरिक्त परिशिष्ट-2 अनुसार (6) स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति एवं (7) वन समिति गठित करने के तत्समय निर्देश दिये थे।

जैवविविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जैवविविधता अधिनियम 2002 जिसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में ''मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004'' बनाए गये हैं। जिसके अनुसार प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जाना है।

अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2) में 5 स्थायी समितियों एवं सन्दर्भित पत्र पालन में गठित की गई 2 समितियां इस प्रकार कुल 7 समितियों के अतिरिक्त 8वीं स्थायी समिति परिशिष्ट-1 अनुसार ''जैवविविधता प्रबंधन समिति'' का गठन जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में किया जावे।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली समस्त जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को यह सुझाव दें कि वे विहित प्राधिकारी (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर) के अनुमोदन से ''जैवविविधता प्रबंधन समिति'' का गठन मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004 के अनुसार करने की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करने की व्यवस्था करें एवं प्रदेश में पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2020 के पश्चात सभी जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों में उपरोक्त समिति गठित हो जावें।

**प्रमुख सचिव**
**मध्यप्रदेश शासन**
**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**

---

**परिशिष्ट-1**

**(8) जैवविविधता प्रबंधन समिति -** ''जैव विविधता के संरक्षण स्थायी टिकाउ उपयोग और जैवविविधता के दस्तावेजीकरण के प्रयोजन के लिए जिसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, पुनर्स्थापन, संकटापन्न, दुर्लभ एवं खतरे में पड़े पौधे, जन्तु और सूक्ष्म जीव का संरक्षण, जैविक संसाधन तथा पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण तथा इस तक पहुँच का नियमन, पशुधन की प्रजातियों का संरक्षण, सूक्ष्म जीवों का संरक्षण एवं उपयोग, इसके संरक्षण हेतु जैव विविधता बोर्ड को सुझाव एवं परामर्श, जैवविविधता के व्यावसायिक उपयोग का डाटा संधारित करना, व्यावसायिक उपयोग करने वाले व्यापारियों पर फीस लगाना तथा व्यावसायिक उपयोग से उत्पन्न लाभों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समिति कार्य करेगी।''